[श्री शिवचन्द्र झा]

न्टेटिक्ज द्वारा साबित किया जाना आवश्यक होना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : अगर यह प्रोवाइजो न रखा गया, तो कोर्ट यह जानते हुए भी कि इस व्यक्ति ने सारी सावधानी बरती, उस को छोड़ नहीं पायेगी। इस प्रोवाइजो न के रहने से निर्दोष को भी सजा मिल जायेगी। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने यही राय दी है।

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put amendments Nos. 4 and 5 to vote.

The Amendments Nos. 4 and 5 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1—(*Short title*)

Amendment made :

Page 1, line 4,—*for* "1967" *substitute* "1970". (2)

(*Shri Bhagwat Jha Azad*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

Page 1, line 1—*for* "Eighteenth" *substitute* "Twenty-first". (1)

(*Shri Bhagwat Jha Azad*)

श्री शिव चन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में जो सवाल उठाया है, मंत्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया है। रिक्रूटमेंट में भेद-भाव किया जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस डाक वर्कर्स में क्रिश्चियन्स को दिया जाता है तब दिया जाता है मुसलमानों को और तब ऐसे ऐसे करके दिया जाता है। मैं डाक पर गया हूँ। भर्ती की क्यू के अन्दर भी मैं गया। मैं यह जानता हूँ ..

MR. DEPUTY SPEAKER : We have passed that stage.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Recruitment does not fall within the scope of this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I move :

"That the Bill, as amended, be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

15.51 hrs.

MOTIONS *Re*-REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES, AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY *contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of

the following motion moved by Shri P. Govinda Menon on 20th May 1970, namely :—

> "That this House takes note of the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69, laid on the Table of the House on the 24th April 1968, 15th May 1969 and 30th March, 1970, respectively."

and further consideration of the following motion moved by Shri Suraj Bhan on the 20th May 1970, namely :-

> "That the Report of the Committee on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes (Part I—V) along with the connected documents, laid on the Table of the House on the 10th April, 1969, be taken into consideration".

Five hours have been allotted for this out of which 15 minutes have been taken. Shri Suraj Bhan was last on his legs. He had taken 18 minutes. I would request him to take as short a time as possible as there is a long list of speakers.

श्री सूरज भान (ग्रम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में हरिजन ग्रौर ग्रादिवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार को देखकर बाहर के मुल्कों के लोग क्या कहते होंगे या यहां बैठे हुए लोग भी क्या कहते होंगे मैं इस सिचुएशन को एक शायर के ग्रल्फाज़ में ग्राप के सामने रखना चाहता हूँ कि :

> खुदा के बन्दों को देख कर ही खुदा से
> मुनकिर हुई है यह दुनिया ।
>
> ऐसे बन्दे हों जिस खुदा के वह कोई
> ग्रच्छा खुदा नहीं ।

भारतवर्ष के हरिजन ग्रौर ग्रादिवासियों के साथ जो सुलूक हो रहा है उसको देख कर जैसे खुदा से मुनकिर होने के लिए लोग तैयार हो गए हैं ऐसे ही भारत की प्रतिष्ठा बाहर के मुल्कों में क्या होगी यह ग्राप खुद ग्रन्दाज़ा लगा लीजिए, इस वक्त हम कमिश्नरों की तीन रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं ग्रौर चौथी ग्रनटेचेबिलटी कमेटी की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की ग्रपनी बनाई हुई कमेटी है । उसको इस रिपोर्ट को तैयार करने में 4 साल लगे ग्रौर तीन कमिश्नरों की तीन रिपोर्टें हैं जिन में तीन साल लगे हैं ।

सात साल की रिपोर्टों के लिए, यहां भी केवल 5 घंटे इस पर एलाट हुए हैं । पार्लियामेंट के बाहर तो इनको इंसाफ नहीं मिलता है, परन्तु, यहां भी उन्हें इन्साफ नहीं मिल रहा है । 5 घंटे में एक रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं जा सकती है । फिर इसमें हम उन 4 रिपोर्टों के साथ इंसाफ कर सकेंगे, मुझे इसमें संदेह है । मैं ग्रपनी बात को कम से कम समय में समाप्त करने की कोशिश करूंगा लेकिन यह पांच घंटे का समय लाजिमी तौर पर कम है । इसे ग्राप बढ़ाइए ।

एक माननीय सदस्य : इसे सात घंटे कर दीजिए ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : दस घंटे कर दिया जाय ।

श्री राम चरण (खुर्जा) : मेरा यह निवेदन है कि इसको पन्द्रह घंटे देना चाहिए । चार रिपोर्टों पर डिस्कशन होना है । उसके लिए कम से कम 15 घंटे होना चाहिए...(**व्यवधान**) ...यह पक्षपात वाली नीति नहीं चलेगी ।

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN (Rampur) : **I suggest 30 hours.**

श्री शिव चरण लाल (फिरोज़ाबाद) : यह मसला बहुत गम्भीर है । सारे हिन्दुस्तान का यह सवाल है ग्रौर हरिजनों के साथ क्या हो रहा है, इसे हम यहां रखना चाहते हैं । इस पर समय ग्रवश्य बढ़ाया जाना चाहिए ।

MR. DEPUTY SPEAKER : All this is appreciable. There are four voluminous reports. Even so, the whole thing was considered by the Business Advisory Committee where all the parties, including Shri Suraj Bhan's, were represented.

SHRI SURAJ BHAN : It is not a question of party.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am putting the facts for your consideration, not giving my opinion. That Report to the Business Advisory Committee was put before the House and accepted by the House. So, these five hours have been accepted by the House. I cannot at this moment, unless the matter goes back to the Business Advisory Committee where things can be considered a little coolly and calmly in the context of the entire business before the House, give a decision *ad hoc* from the Chair that it would be extended. Even so, I would see that all Members have full opportunity of expressing themselves. I am only appealing that they would kindly be brief. It does not mean that you should go through the whole Report. There are certain aspects of the Report which you have to stress. Do that only.

श्री साधूराम : आपने यह कहा कि एडवाइज़री कमेटी में यह मामला जायगा। मेरा यह निवेदन है कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में शिड्यूल्ड कास्ट की तरफ से कोई मेम्बर नहीं है न शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कोई मेम्बर है।

डा० रामसुभग सिंह : हमारी ओर से श्री शिवनारायण जी हैं। आप लोग नहीं रखते।

श्री साधूराम (फिल्लौर) : मैं यह कहना चाहता हूँ यह बड़ी बेइंसाफी की बात है। इस देश के करोड़ों आदमियों की जो तकलीफें हैं उनको कहने के लिए पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है। यह बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। इस टाइम को बढ़ाना चाहिए। बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी को इस बात के लिए कहा जाय और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कहूँगा कि वह इसको बढ़ाएं।

MR. DEPUTY SPEAKER : I have said just now what I felt about it. Is it your point that you want to move that it should be extended ? Anyway, we will not conclude this debate today, we cannot because five hours have been allotted for it.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय बहुत कम है और मैं इसके लिए प्रस्ताव पेश करता हूँ कि समय बढ़ाया जाना चाहिए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMAIAH): May I suggest that you may consider extending when the five hours are exhausted. You need not consider the question now.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : The five hours were allotted originally sor the reports of the Scheduled Castes Commissioner. Now we are considering those reports plus the report of the Committee on Untouchability. These are big voluminous reports dealing with all the aspects of the problem, and the time must be proportionately extended, and the proposition may be placed before the Business Advisory Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I fully agree. I am not ruling it out. Let us continue. We shall see.

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा टाइम अब से गिना जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will count speech from 3.00.

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar) : If you are extending the time, you must extend the time of the individual speakers also.

MR. DEPUTY-SPEAKFR : All right.

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों के साथ देश भर में

कितनी ज्यादती हो रही है मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज से एक साल पहले मद्रास के एक जिले के 42 हरिजनों को ज़िन्दा जला दिया गया। आन्ध्र में एक लड़के को जलाया गया। फिर एक और को जलाया गया। फिर उड़ीसा में चार को ज़िन्दा जला दिया गया, गोलियों से उड़ाया गया। यह अकेले वाक़यात नहीं हैं। प्रतिदिन यह बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि शायद उसी तरफ यह हो। मैं हरयाना का एक रिसेंट वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज तक अख़बारों में नहीं आया। पिछले महीने में 12 जुलाई को गाँव वगथल, तहसील रिवाड़ी पुलिस स्टेशन बावर में एक झगड़ा था। उस झगड़े को निपटाने के लिए एक हरिजन आदमी जाता है पंचायत के पास। उस आदमी का नाम है जंगली। पंचायत उसको इन्साफ़ देने के बजाय सरपंच जो ख़ुद ज़मींदार है जिन ज़मींदारों के खिलाफ कम्प्लेंट ले कर वह गया था उनकी हिमायत करते हुए कहता है कि अगर इस किस्म की शिकायत लेकर आओगे तो तुम्हारा घर जला देंगे और तुमको और तुम्हारे घर वालों को जला देंगे। आज से तुम्हारा सोशल बायकाट हुआ। अब तुम न खेत पर जा सकते हो और न कुएं से पानी भर सकते हो। वह अपने बेटे को ले कर पुलिस स्टेशन बावर में जाता है। वहाँ यह रिपोर्ट लिखाता है। बताता है कि तमाम घरके मेम्बरों को कत्ल करने की धमकी दी गई है। यह सब कुछ लिखाने के बाद एस० एच० ओ० एक पुलिस कांस्टेबल को उसके साथ भेज देता है। एक पुलिस कांस्टेबिल ता० 13 को गाँव में आकर उन हरिजन परिवार की महिलाओं को कहता है कि तुम कुएं से पानी भर सकती हो। जब वे पानी भरने के लिए जाती हैं तो उनके घड़ों को तोड़ दिया जाता है और उनको मारा-पीटा जाता है, वे दौड़ कर घर वापस आती हैं और अपने मर्दों को बताती हैं। उसी वक्त गाँव के तमाम ज़मीदार लाठी, कुल्हाड़ियां लेकर आ जाते हैं, उनके घर को आग लगा देते हैं, उनकी चार झोपड़ियाँ थीं और तीन औरतें थीं, झोंपड़ियों को जला दिया गया, उनकी औरतों को मारा पीटा गया, उनमें एक बुढ़िया थी, जिसका सिर फूट गया और वह बेहोश हो गई। जब घर के आदमी बाहर निकले तो जंगली राम और उसके लड़के को जो 15 साल का था, क़त्ल कर दिया गया। वह पुलिस का सिपाही तमाशा देखता रहा, उसने कुछ नहीं किया। उसका एक लड़का फौज में था, जो उन दिनों आया हुआ था, वह भाग कर दूसरे गांव में गया और उसी दिन शाम को इस वाक़य की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद उनको बावल के सिविल अस्पताल में ले जाकर दाखिल कराया गया, लेकिन ता० 13 से लेकर ता० 15 की सुबह तक कोई मरहम-पट्टी नहीं की गई, उनको फर्स्ट-एड भी नहीं दी गई। उसके बाद सिविल अस्पताल, रिवाड़ी भेजा गया। अब वहाँ कुछ आदमी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी कार्यवाही भी शुरू हुई है—उसका जो लड़का फौज से आया हुआ था और एक दूसका लड़का जो बाजा बजाने का काम करता है और उस दिन बाहर गाँव में गया हुआ था उन दोनों को इस मामले में इम्पलीकेट करने की कोशिश की जा रही है। उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

15 hrs.

मैं माँग करता हूँ कि उस पुलिस कांस्टेबिल के खिलाफ़ कार्यवाही की जाय जो तमाशा देखता रहा, उस एस० एच० ओ० के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिसके पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कत्ल की धमकी दी गई है, उस के बावजूद भी उसने वहाँ पर सिर्फ एक निहत्थे कांस्टेबिल को भेजा। उनके घरों को आग लगा दी गई है, उनके जेवरात को लूट लिया गया है, उसके पास 150 बकरियां थीं, अब सिर्फ 20 बकरियां बाकी रह गई हैं, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस किस्म का वाक्या सिर्फ गुड़गाँव जिले में नहीं हुआ है, हिन्दुस्तान में

[श्री सूरज भान]

सब जगहों पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं—इसका इलाज क्या है ? मैंने प्रधान मंत्री को भी इसके बारे में एक पत्र लिखा है, 10-12 मेम्बरों से भी मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी उस पर दस्तखत किये हैं—उसमें हम ने मांग की थी कि जो आपकी नेशनलइन्टीग्रेशन कान्सिल है वह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हिन्दू-मुस्लिम फिसादों को ही देखे, यह भी नेशनल इन्टीग्रेशन का काम है, इनका इन्टीग्रेशन कैसे हो, इसके बारे में भी वह कान्सिल विचार करे और उस कान्सिल की एक स्पेशल मीटिंग फौरन बुलाई जाय। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने अभी तक वह मीटिंग नहीं बुलाई। उन्होने मुझे एक पत्र लिखा कि आप इस बारे में सुझाव दें। उनको मैंने सुझाव भेजे हैं, उन सुझावों का मैं यहाँ पर अभी जिक्र करूंगा लेकिन इस सिलसिले में जो ज्यादती हो रही है, पहले उसके बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूँ।

सबसे पहले बात मैं यह कहना चाहता हूँ—मैंने पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट में भी कई पलैग लगा रखे हैं, लेकिन सबको पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि आपके पास आलरेडी इस किस्म का प्रोवीजन है कि जब इस तरह से कोई नुकसान पहुँचाया जाता है, तो आप वहां पर मजमुई पनिशमेन्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी गुड़गांव के इस गांव का जिक्र किया, जहाँ तमाम गाँव ने इकट्ठा हो कर हमला किया, इसलिए उस सारे गांव को पनिश करना चाहिए, वहाँ पर पुलिस बैठानी चाहिए और पुलिस के तमाम खर्चे को गांव वालों को बरदाश्त करना चाहिए।

दूसरा सुझाव—जब तक आप पुलिस फोर्स में लाजमी तौर पर अधिक हरिजनों को इनको भरती नहीं करेंगे, इनको इन्साफ नहीं मिलेगा, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स में भरती किया जाय। तीसरे—अनचेटबिल्टी कानून में जो आप अमेंडमेंट लाने वाले हैं, मेहरबानी करके उसको जल्द लाइये, ताकि उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़े।

अब मैं दूसरे आस्पेक्ट की तरफ आता हूँ—यह है उनका इकानामिक आस्पैक्ट। आज उनकी गिरी हुई हालत का एक मुख्य कारण यह है कि वे इकानामिकली बहुत बैकवर्ड हैं। आज कल जमीन का मामला बहुत जोरों से चल रहा है। इनमें 100 फीसदी आदमी बेजमीन हैं। जमीन के सिलसिले में इस वक्त मुख्तलिफ कानून बने हुए हैं, लेकिन वे सब किताबों में हैं, उनको इम्पलीमेन्ट नहीं किया जा रहा है। आज भी आप पंजाब में देख सकते हैं, हजारों एकड़ के फार्म हैं, यू० पी० में हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कानून आपने बनाये हुए हैं, उन पर ठीक से पाबन्दी के साथ अमल किया जाय और जितनी सरप्लस जमीन है, उसे इन बेजमीन लोगों में बांटा जाय।

दूसरा सुझाव—मैंने प्रधान मंत्री जी को भी अपने जबाव में लिखा था कि शेडयूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्ट्स के लिए अलग से एक फाइनैन्शियल कारपोरेशन बनाया जाय। सैन्ट्रल गवर्नमेंट खुद इसमें इनीशियेटिव ले। जब कभी भी ये लोग बैंकों के पास कर्ज के लिये जाते हैं तो बैंक पूछता है कि तुम क्या जमानत दोगे। इनके पास जमानत के लिए कुछ भी नहीं है—न उनके पास मकान है, न जमीन है, किस चीज की जमानत दें। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट उनको कर्जा दे और वसूल न करे, जरूर वसूल किया जाना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं—फर्ज कीजिये वह जमीन खरीदना चाहता है, उसको कर्जा दीजिये और उस जमीन को अपने पास गिरवी रख लीजिए। यह एक कान्क्रीट सजेश्चन है, इसको वर्क-आउट किया जा सकता है। उनको लोन दिया जाता है—मुर्गी पालो, सूअर पालो, इस तरह की स्कीमों के लिए...

श्री रामचरण : सिर्फ 100 रुपए दिये जाते हैं ।

श्री सूरज भान : लेकिन बिरला, टाटा को परमिट्स दिये जाते हैं, कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं, इन बेचारों को ट्रांस्पोर्ट तक के परमिट नहीं मिलते । काटेज इण्डस्ट्रीज को ही ले लीजिए—शू-मेकिंग की इंडस्ट्री है, जो इन का जद्दी पेशा है, लेकिन उस पर भी इन सवर्ण लोगों ने कब्जा कर लिया है । बाटा हरिजन नहीं है, लेकिन शू-मेकिंग इंडस्ट्री पर उसका कब्ज़ा जमा हुआ है । आज आप किसी भी शहर में जाकर देखिए, ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनको लेबरर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसका फायदा ये बड़े लोग उठाते हैं । ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई जाती कि कोआपरेटिव बेसिज पर इन लोगों को उसका फायदा पहुँचे । मैंने इस सिलसिले में भी एक स्कीम हरियाणा सरकार को दी थी, लेकिन जिस दिन से मोहतरिम बंसी लाल जी वहाँ आये हैं, उन्होंने उसको ड्रौप कर दिया । मैंने सुझाव दिया था—फर्ज कीजिये आप 1000 रु० का शेयर रखते हैं, 100 रु० उस हरिजन से लीजिए और 900 रु० आप बतौर लोन के इंटरेस्ट-फ्री उसके जमा कर दीजिये, इस तरह से उसका 1000 रु० का हिस्सा वहाँ पर हो जायेगा । फैक्टरी को चलाइये, जिसमें वह खुद कारीगर के तौर पर काम भी करेगा—इस तरह से उसको कामयाबी मिल सकती है ।

उनकी इकानामिक कन्डीशन को इम्प्रूव करने के लिए आप की मुख़तलिफ जगहों पर जो दुकानें बनती हैं, उनका कुछ हिस्सा आप उनको एलाट कीजिए । मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ—कमिश्नर साहब ने इसको अपनी रिपोर्ट में कोट भी किया है—दिल्ली प्रशासन ने इस सिलसिले में कदम उठाया है—जहाँ पर भी वे 100 दूकानें निर्माण करते हैं, उनमें से 15 दुकानें उनके लिए रिज़र्व रखते हैं...

श्री शशि भूषण (खारगोन) : लेकिन उन को मिलती नहीं हैं ।

श्री सूरज भान : ऐसी बात नहीं है...

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप तो पार्टीबाज़ी में अंधे हो रहे हो, सच्चाई आपको दिखलाई नहीं दे रही है ।

श्री सूरज भान : मैं कमिश्नर की रिपोर्ट से पेज कोट कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त समय नहीं है । ज़मीन के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ज़मीन टिलर को दी जानी चाहिए, ये लोग काश्तकार हैं, इसलिए दरअसल इनको ही जमीन का मालिक होना चाहिए । इस में जो हेरफेर हो रही है उसको रोकना चाहिये, अगर आप इस उसूल को मान कर काम करें तो जरूर इन लोगों की कुछ न कुछ तरक्की हो सकती है ।

अब मैं हाउसिंग के बारे में एक स्कीम रखना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके लिए मकान बनाये और 20 साल या 40 साल के लिए उनको हायर परचेज़ सिस्टम पर दे । 20 साल तक वे किराये की शक्ल में सरकार को देते रहें और उसके बाद वह मकान उनका हो जाय । मैं फिर कमिश्नर की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूँ.. दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार की व्यवस्था की है जो मकान बनाये हैं, मीडियम तबके के लिए, उनमें से 15 फीसदी मकान हरिजनों के लिए रिज़र्व कर दिये हैं । इसी तरह से जो रेज़ीडेन्शल प्लाट्स बनाये हैं उनमें से भी 15 फीसदी उनके लिए रिज़र्व रखे हैं । हो सकता है कि प्लाट्स लेने वाले न मिले हों, लेकिन उसूलन इस बात को मान लेना चाहिये । इस तरह की स्कीम दूसरे शहरों में भी चलाई जानी चाहिये ।

अब मैं तालीम के मसले पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । अब तक इनको

[श्री सूरज भान]

एजूकेशन नहीं मिलेगी, इनका उत्थान नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए अब तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितना किया है, वह नाकाफी है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी स्कालरशिप का एमाउन्ट सन् 1948 में मुकर्रर हुआ था वही आज भी 6 रु० 9 रु० मिलता आ रहा है हालांकि रुपये की कीमत इतनी घट गई है और चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए मंहगाई भत्ता बढ़ाने का हम समर्थन करते रहते हैं, उनका मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिए लेकिन हरिजनों ने क्या कसूर किया है कि सन 48 में उनको जो 6 रुपये मिल रहे थे वही 6 रुपये आज भी मिल रहे हैं। इस लिए यह एमाउन्ट कम से कम दुगुना होना चाहिए। पिछले सेशन में श्री गोविन्द मेनन ने वादा किया था कि इस एमाउन्ट को अगर दुगुना नहीं तो ड्योढ़ा जरूर करेंगे लेकिन वह हुआ नहीं। तो इस एमाउन्ट को जरूर बढ़ाया जाना चाहिये। इसी के साथ एक बात यह भी है कि स्कालरशिप उनको समय पर नहीं मिलती है। एजूकेशनल कैरियर के बाद मिलती है। वक्त निकल जाने के बाद अगर बरसात हो तो उससे क्या फायदा हो सकता है? इसलिए उन को वक्त से स्कालरशिप मिलनी चाहिये ताकि वे उसका फायदा उठा सकें।

इसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक सहूलियतें देने की बात है, मुझे एक कमेटी में वेस्ट बंगाल जाने का मौका मिला तो मैं वहां पर देख कर हैरान रह गया। सर्विसेज में तो आमतौर पर कह दिया जाता है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स एवेलेबिल नहीं हैं और वह बात किसी हदतक समझ में आ सकती है लेकिन वहां पर स्कालरशिप देने के लिए भी कह दिया जाता है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स एवेलेबिल नहीं हैं। पता नहीं सूटेबिलिटी में क्या देखा जायेगा? आंखें देखी जायेंगी, कान देखे जायेंगे, या खूबसूरती देखी जायेगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं गहराई में गया तो उन्होंने कहा कि इसमें एक बात है। शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट को—हालांकि वह काम्पीटेन्ट नहीं थे लेकिन उसको भी उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक तो शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरे मोर बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट। अब उसका नतीजा यह है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल तक तो जो अखराजात हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट बरदाश्त करती है। उसमें चालाकी करके थोड़ी बहुत एजूकेशन देते हैं उसमें महज शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं। और जो इंटीरियर में रहते हैं उनको मोर बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट में रखा है वह स्कूल में आते नहीं। अब उसके बाद कालेज लेविल पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ग्रान्ट शुरू होती है लेकिन उस ग्रान्ट का भी वे फायदा नहीं उठा सकते हैं क्यों कि जब हाई स्कूल में नहीं पहुँचे तो कालेज मे कैसे पहुँचेंगे। नतीजा यह है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको इमदाद देती नहीं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट इमदाद दे तो वे उसका फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि कालेज लेविल पर पहुंचते नहीं। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वह समाप्त होना चाहिए।

इसके अलावा पार्लिमेंट में हमारे कम्युनिस्ट भाई हरिजनों और आदिवासियों की सहायता की बहुत दुहाई देते हैं लेकिन केरल में जो मैंने देखा उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। वहां पर कम्युनिस्ट हुकूमत आने से पहले मेडिकल और इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूशन्स में 15 परसेंट सीट्स रिजर्व थीं हरिजनों के लिए लेकिन कम्युनिस्ट भाइयों ने उस परसेन्टेज को बढ़ाने के बजाये उसे और घटाकर 5 फी-सदी ही कर दिया। मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी ज्यादती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें इन्टर्फियर करना चाहिए। जो चीज उनको पहले मिली हुई थी कम से कम वह तो न छीनें। ये कम्युनिस्ट लोग हरिजनों का उद्धार करने की बात करते हैं लेकिन मैं यह कंक्रीट केस आपके सामने रख रहा हूं।

इसी प्रकार कमिटेड एक्सपेंडीचर का सवाल मैंने 1969 में शार्ट नोटिस डिस्कशन के जरिए

उठाया था। पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने कहा कि एक मख्सूस साल तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्कालरशिप्स पर जितना खर्च किया है उतनी लेविल तक स्टेट गवर्नमेंट बरदास्त करेंगी लेकिन उससे आगे जो खर्चा बढ़ जायेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। लेकिन मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही कुछ नहीं कर रही हैं और वेस्ट बंगाल की मिसाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट को यह रेफर किया गया और उन्होंने कहा कि इस स्कीम को पसन्द नहीं करती हैं। यहां पर जब डिस्कशन हुआ था तो उसमें 15 सदस्यों ने—पार्टिसिपेट किया था और श्री गोविन्द मेनन साहब ने कहा कि मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, 15 आदमियों के साथ मैं 16वां आदमी हूँ जो इस मांग को दोहराता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्ट्री से इस बात को मनवा सकूँ कि कमिटेड एक्सपेंडीचर को छोड़ दिया जाये। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो पार्लिमेंटरी कमेटी है शेड्यूल्ट कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की उसके पास मैं इसको रेफर करता हूँ और जो भी उनकी सिफारिशात होंगी उनको हम मान लेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि पार्लिमेंटरी कमेटी के जरिए अच्छी सिफारिशात होने के बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन तमाम सिफारिशों को रेजेक्ट कर दिया है। और यह उस वक्त रेजेक्ट हुआ है जबकि प्रधान मंत्री फाइनेन्स मिनिस्टर थीं। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं कोई क्रिटिसिज्म के लिहाज से नहीं कहता लेकिन आज कम से कम उनके साथ हमदर्दी कीजिए और जो हाउस में वादा करते हैं उसको तो पूरा कीजिए—बाहर आप क्या करते हैं उसको तो छोड़ दीजिए।

उपाध्यक्ष जी, फारेन कन्ट्रीज के लिए जो स्कालरशिप्स स्टूडेन्ट्स को मिलती हैं उसमें शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसी तरह से कुछ फारेन कन्ट्रीज भी स्कालरशिप्स देती हैं उनमें भी शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को हिस्सा मिलना चाहिए।

इसके अलावा एक बात एजुकेशन के सिलसिले में खास तौर पर कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। जाती तौर पर मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कई लोग यहाँ पर रिज़र्वेशन की बात करते हैं मैं उसका हामी नहीं हूँ, आप बेशक उसको खत्म कर दीजिए लेकिन इस शर्त पर कि हर गरीब अमीर का बच्चा एक किस्म के स्कूल में बैठे, एक होस्टल में रहे और उनको एक किस्म की सहूलियतें दी जायें। यह नहीं हो सकता कि सर्मायेदारों के बच्चों के लिए तो एयर कन्डीशन्ड कमरे हों और गरीब का बच्चा उस झोंपड़ी में बैठे जिसमें कि मिट्टी के तेल का दिया भी न हो। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जब कम्प्टीशन में बैठेंगे तो दूसरे झोंपड़ी में बैठने वाले बच्चे उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आप सभी को एक लेविल पर लाइये। पब्लिक स्कूलों को आप एबालिश कर दीजिए और एक ही किस्म के स्कूल रहने दीजिए और एक ही किस्म की सुविधा दीजिए और फिर आप रिज़र्वेशन को एबालिश कर दीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे उनसे ज्यादा इन्टेलिजेन्ट हैं, वे ज्यादा मार्क्स लेकर पास कर सकते हैं लेकिन उनको आप पूरी सहूलियत तो दीजिए।

जहां तक सर्विसेज का मामला है, अक्सर कहा जाता है कि सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूड ट्राइब्ज को आसमान पर चढ़ा दिया गया है। मैं आपके सामने इस सिलसिले में शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट से कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1967 के बाद के आंकड़े होम मिनिस्ट्री ने नहीं दिए हैं। 1967 तक इनकी पोजीशन क्या थी वह मैं

[श्री सूरज भान]

आपके सामने रख रहा हूँ। क्लास वन में अब रिजर्वेशन 15 परसेन्ट है—पहले साढ़े 12 परसेन्ट था लेकिन अब 15 परसेन्ट हुआ है। लेकिन आप देखें कि क्लास वन में जो रिप्रेजेन्टेशन है वह है 2.08 परसेन्ट। इसके बाद भी इतना बावेला है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स को आसमानपर चढ़ा दिया गया है। इसी तरह से क्लास टू में है 3.10 परन्सेट। क्लास थ्री जिसमें कि आसानी से मिल सकते हैं, हजारों शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग बेकार हैं उसमें भी 9.33 परसेन्ट है।

शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की पोज़ीशन तो इससे भी ज्यादा खराब है। कलास वन में इनका रिप्रेजेन्टेशन 0.57 परसेंट है। क्लास टू में 0.41 परसेंट और क्लास थ्री में 1.25 परसेण्ट। ये गवर्नमेंट की अपनी फीगर्स हैं। लेकिन इनपर भी मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि मैंने भी दफ्तर में काम किया है और मुझे पता है कि आँकड़े कैसे तैयार होते हैं। लेकिन अगर इनको करैक्ट भी मान लिया जाये तो हालत यह है जिसका कच्चा चिट्ठा मैंने आपके सामने रखा है। इन हालात में मैं नहीं समझता कि उनको इन्साफ मिल सकता है। मैं श्री हनुमंतैया जी को सर्विसेज़ के मामले में कंक्रीट सुझाव देना चाहता हूँ। एक यह छोटी सी रियायत देने से पहले सूटेबिलिटी का ढिंडोरा पीटा जाता है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स आर नाट एवेलेबिल। ··(व्यवधान)···आमतौर पर यह कहा जाता है इन सर्विसेज के लिए—

"If suitable candidates are not available, the posts will be offered to others."

मैं पूछता हूँ कि 22-23 साल यह ढिंढोरा पीटने के बाद भी आप उनको सूटेबिल नहीं बना सके तो फिर कब बना सकेंगे? शिड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए तो जो एडवर्टाइज़मेन्ट निकालते हैं उसमें तो आप यह लिख देते हैं लेकिन क्या कभी आपने जेनरल पोस्ट्स के लिए भी यह लिखा है—

"If general candidates are not available, the posts will be given to the Scheduled Castes and Tribes."

यह तो कभी देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में तो आपको सूटेबिल कैंडीडेट्स ही छांटने हैं लेकिन नानशेड्यूल्ड कास्ट्स में आप नान-सूटेबिल ···कैंडीडट्स को भी ले सकते हैं—क्या मैं यही समझूँ? इस सिलसिले में मैं डा० लोहियाजी के सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि जबतक आप इस तरह से पोस्ट्स नहीं भर सकते तबतक आप यह करें कि जैसे आपने किसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बी० ए० रखी है तो जो आपके पास कैंडीडेट्स बी० ए० पास आते हैं उनमें क्वालिफिकेशन बेसिस पर इन्टर-सी सीनियारिटी देख लीजिये और स्ट्रेटअवे उनको एप्वाइन्ट कर लीजिए। लेकिन बी० ए० होने के बाद भी आप कहते हैं कि सूटेबिलिटी देखनी है तो उस सूटेबिलिटी का क्राइटेरियन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। रेलवे में श्री गंगाराम वेलफेयर इंस्पेक्टर स्काउटिंग हैं उन्होंने सीनियर इंसपेक्टर के लिए एप्लाई किया। जनरल मैनेजर का रिटन रेप्लाई मेरे पास है। पोस्ट रिजर्व्ड थी लेकिन वे कहते हैं कि दूसरे कैंडीडेट से वे ज्यादा अच्छे नहीं थे। पोस्ट रिजर्व है और लाजमी तौर पर वह रिजर्व कैंडीडेट को जानी चाहिए थी। इसी को मैंने श्री गोविन्द मेनन साहब को रेफर किया जबकि थोड़े दिन वे रेलवे मिनिस्टर रखे थे—तो वह जवाब देते हैं:

"Shri Ganga Ram, who also appeared before the Selection Board, was not considered suitable for the post."

यह रेलवे मिनिस्टर कहते हैं। जनरल मैनेजर के लिहाज से ज्यादा अच्छा नहीं था। अब कम्पैरिज़न आपने दूसरों के साथ करना है, तो यह सरासर बेइंसाफी की बात होगी।

मैंने पिछली बार एयर होस्टैस का केस कोट किया था। उससे भी सीरियस केस मेरे नोटिस में आये हैं। उनको मैं कोट करना चाहता हूँ। अभी पीछे 30 मई को इण्डियन एयरलाइंस में एक जूनियर आप्रेटर पोस्ट के लिए इम्तहान हुआ था। इम्तहान के बेसिस पर दो जुलाई को इन्टरव्यू हुआ। वह पोस्ट जनरल थी, रिजर्व्ड नहीं थी। लेकिन इत्तिफाक से एक लड़का महेशचन्द्र उसमें टाप कर गया। वह शैड्यूल्ड कास्ट का था। यह चीज़ उनको पसन्द नहीं आई। उस गरीब ने एक और पोस्ट के लिए एप्लाई किया हुआ था इंडियन एयरलाइंज में ही और वह जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट थी। उसका टस्ट चार जुलाई को हुआ। अब सोचा गया कि उसको पहली पोस्ट से किस तरह से डिसक्वालिफाई किया जाए। उस टैस्ट में वह नहीं एक और दूसरा कैंडिडेट नकल करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन उससे यह जबर्दस्ती लिखवा लिया गया कि वह नकल कर रहा था। महेन्द्रचन्द्र नकल करता हुआ पकड़ा नहीं जाता है, दूसरा आदमी पकड़ा जाता है लेकिन उससे उसका नाम लिखवा लिया जाता है और उसके आधार पर आज उसको डिसक्वालिफाई करने की कोशिश की जा रही है। उसने पहले इम्तहान में टाप किया, यही उसका कसूर है। जनरल सीट्स के लिए भी उन्होंने टाप किया है, इसके इंस्टैंसिस में हजारों कोट कर सकता हूँ।

अब कनफर्मेशन की बात भी आती है। इस देश में चतुर्वर्ण आम समाज में चालू हैं। उसी चतुर्वर्ण को ये लोग सर्विसिज में भी ले आये हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और क्लास 4। क्लास 1 में तो हम लोगों का कोई आदमी है ही नहीं। क्लास 2 में भी नहीं है। क्लास 3 में थोड़े से हैं। लेकिन क्लास 4 में सेंट पर सेंट हैं। क्योंकि स्वीपर कोई और नहीं आयेगा, इन्हीं में से आयेंगे, इस वास्ते यहाँ सेंट परसेंट हैं। अब कनफर्मेशंज की बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्ज ने 1959 में इंस्टिकशंज इशू कीं कि कनफर्मेशंज़ में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्मी ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हायर रैंक्स में हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे कनफर्मेशन के मामले में लेकिन लोअर रैंक्स में करेंगे। दूसरी मिनिस्ट्रीज़ ने कर दिया लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया। एक और अजीब सी मिनिस्ट्री है इरिगेशन एन्ड पावर। उसने कह दिया कि हायर रैंक्स में करेंगे, लोअर रेंक्स में नहीं करेंगे। कितनी अजीब बात है। दोनों जगह यह मामले चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम आप अपने जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो यूनिफार्मिटी लाएँ। स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या हालत है, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। मैं केरल गया था। मुझे पता लगा कि तमाम केरल सरकार में सिर्फ एक गजेटिड अफसर है शैड्यूल्ड कास्ट का, और कोई गजेटिड अफसर नहीं है। क्लास 2 में कितने हैं, यह तो पता नहीं लेकिन गजेटिड अफसर सिर्फ एक था। मेरा निवेदन है कि आर्मी में भी आपका थोड़ा बहुत दखल होना चाहिए। आर्मी में तथा दूसरी जगहों पर एफिशेंसी का ढिंढोरा पीटा जाता है। एफिशेंसी केन्द्रीय सरकार में कितनी है, इसकी भी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आम आदमी का खयाल है कि पचास परसेंट से ज्यादा सर्विसिज में इनएफिशेंसी है। अब हार्डली दो परसेंट हमारे आदमी सर्विसिज में है। ये दो परसेंट सब इनएफिशेंट तो हैं नहीं, कुछ तो उनमें से एफिशेंट होंगे ही। इस वास्ते सारी इनएफिशेंसी उनके माथे तो थोपी नहीं जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा दो परसेंट तक उनकी वजह से हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब दो परसेंट निकाल कर बाकी तो दूसरों के कारण ही है। इस वास्ते इनएफिशेंसी का बहाना न किया जाए और इसकी जिम्मेदारी शैड्यूल्ड-कास्ट के लोगों पर न थोपी जाए। डिफेंस फोर्सिस में, हमारे लिए रिजर्वेशन होना चाहिए।

[श्री सूरज भान]

मार्शल और नान-मार्शल की जो आर्गुमेंट दी जाती है, यह गलत आर्गुमेंट है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। 1965 की लड़ाई में अमृतसर के मुहाज़ पर श्री राजू ने पाकिस्तान के छः हवाई जहाज़ गिराए थे और वह शैड्यूल्ड कास्ट का था। हिमालय की चोटी पर श्री तेनसिंह ने अपना कदम रखा था, वह शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का था। दूसरा कोई नहीं था। और भी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। इस वास्ते हम लोगों को इसके लिए बदनाम नहीं किया जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आर्मी में कनफर्मेशन के मामले में भी हमारे वास्ते रिजर्वेशन होनी चाहिये।

सैंसस आ रही है। 1961 में भी वह हुई थी। आज तक शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज़ के साथ एक ज्यादती की जाती रही है। यह कहा जाता रहा है कि हम कास्टिज्म उड़ाना चाहते हैं। कागज़ों में से इसको उड़ा देने से क्या वाकई में यह उड़ सकती है या उड़ गई है? अभी भी यह उसी तरह से चालू है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जब सेंसस हो तो फार्म पर प्राइमरी इनफर्मेशन का एक कालम होना चाहिए। पहले भी होना चाहिए था लेकिन उसको उड़ा दिया गया था। एन्यूमरेटर जाकर पूछता नहीं है कि तुम शैड्यूल्ड कास्ट के हो या नहीं हो। वह खुद बताता था तब लिख लिया जाता था। देहात के लोगों को यह पता भी नहीं होता कि शैड्यूल्ड-कास्ट लिखाना भी है या नहीं। शहरों में जो सफेद पोश लोग बन गए हैं, जो अच्छे कपड़े पहनने लग गये हैं, वे अपने आपको शैड्यूल्ड कास्ट बताना भी शर्म समझते हैं। नतीजा यह हुआ कि शहरों में बसने वाले बाबू अपने आप को शैड्यूल्ड कास्ट नहीं लिखाते चूँकि वे शरमाते हैं और देहात में रहने वाले को पता ही नहीं कि लिखाना है या नहीं लिखाना है। इसका नतीजा यह हुआ कि 1951 के मुकाबले में जनरल इनक्रीज़ इन पापुलेशन को देखते हुए इनकी पापुलेशन घटी है, उतनी नहीं बढ़ी है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। इन दस सालों में देश की पापुलेशन 21.55 परसेंट बढ़ी लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स के केस में यह सिर्फ 17.04 ही बढ़ी है। उस वक्त फैमिली प्लानिंग का नाम तक भी नहीं था। अब तो कहीं-कहीं लोग इसको जानने लग गए हैं। 1951 में परसैंटेज आफ शैड्यूल्ड-कास्ट्स इन रिलेशन टू पापुलेशन आफ दी कंट्री 15.32 था लेकिन 1961 में वह घट कर 14.67 रह गया। इसका कारण यह है कि जानबूझकर उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उनसे यह लिखाया नहीं जाता है कि वे शैड्यूल्ड कास्ट के, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं या नहीं हैं। 1971 में मरदुम शुमारी होने जा रही है। फार्म तैयार हो चुके हैं। मैं डिमांड करता हूँ कि फार्म में यह प्राइमरी इनफर्मेशन का कालम जरूर होना चाहिये और लोगों से पूछा जाए कि वे शैड्यूल्ड-कास्ट के हैं या नहीं हैं। खुद वे बता नहीं सकते हैं। उनको इसकी इम्प्लिकेशंज़ का पता नहीं है। सर्विसिज में, पार्लमेंट और स्टेट असेम्बलीज़ में रिजर्वेशन पापुलेशन के बेसिस पर होता है। अगर पापुलेशन हमारी ठीक ढंग से रिकार्ड नहीं की गई तो हमें रिजर्वेशन कहां मिलेगा?

एक मेरा बिल 14 तारीख को आ रहा है। उसमें यह है कि हमारी पापुलेशन के मुताबिक हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिये। मैं मिसाल देता हूँ। जम्मू काश्मीर में एक भी पार्लिमेंट की सीट रिजर्व्ड सीट नहीं है। वहां से छः सीटें हैं लेकिन एक भी रिजर्व्ड नहीं है। अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो कम से कम यहां पार्लमेंट से तो इंसाफ दिला दें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो छोटे मोटे मुद्दे मैंने रखे हैं उन पर मंत्री महोदय गौर करेंगे और देखेंगे कि उनके बारे में क्या कार्रवाई की जा सकती है।

15.28 hrs.

DR. RAM SUBHAG SINGH: (Buxar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I

support the demand thot has been made by Shri Suraj Bhan. This is one of the most acute problems that confront us. The sooner the problem is solved satisfactorily, the better it will be for the entire nation.

Sir, as you know, this is a social curse. Despite the enactment of Untouchability Act, they are still treated as untouchables. What he said about Haryana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Orissa, if these things are allowed to recur, I do not know where the country will go to. It is high time that these nefarious activities are immediately put an end to.

Then, Shri Suraj Bhan pointed out their reservations in the services, about their economic as well as educational advancement. In the Report itself it has been said that in all the 118 Central schools that are there, the admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students is very negligible. Therefore, it amounts to saying that proper attention is not being paid to admitting those students or to extending the focilities that exist to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes students. Though, of course, according to our Constitution and according to our philosophy, all help should be given to them, to make them literate, that is not being properly done.

The other difficulty is that most of the tribal people remain in remote areas. So is the case with Scheduled Caste people. He pointed out that those who live near the city get some facility but those who live in the remote areas do not get any facility. It is a fact because the schools and colleges that are there in remote area and more particularly....

SHRI NAVAL KISHORE SHARMA (Dausa) : Sir, we are not getting the Hindi translation of the speech of Dr. Ram Subhag Singh.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should get.

DR. RAM SUBHAG SINGH : In those remote area schools even the teachers find it difficult and quite a good number of teachers do not go to such schools and the Government should see that they are properly staffed and proper facilities provided to all students who go to attend schools. There are areas in tribal belt where it becomes very difficult for children to go there from one village to another village due to the presence of ferocious animals more particularly in the jungle areas wherefrom my friend, Mr. Jaganatha Rao, comes. In those villages schools should be provided, It would not be possible for all the children to get facilities that are supposed to be extended to Scheduled Castes and Scheduled Tribes children. Therefore, I demand that all the children of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be Compulsorily educated at State's cost and their parents must also be enabled to educate their children. I know for a fact that there are quite a good number of parents who cannot afford to send their children to schools due to economic difficulties. Their difficulties should also be taken care of and they should be enabled to send their children to schools and colleges and they must be given proper type of education and there I endorse Mr. Suraj Bhan's demand that they should be provided educational facilities that anybody can expect in India.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN : I am saying exactly what you are trying to say. But give a few examples.

DR. RAM SUBHAG SINGH : If they get the facilities that the Nawab Sahib get, I and the country will be too happy.

Sir, unemployment has become another curse of the nation at the moment. But those who are poorer, more particularly, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people should be taken care of. The poorer a man the greater is the welfare load he carries for the country's development because it is he who drags the chariot of national freedom. Those who come from well-to-do families, according to our social system. enjoy more. Therefore, this country, this unfortunate country, has suffered for thousands of years. It is the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are the poorest in our country and therefore, they have contributed the most for the development of the country. See any profession. Look at agriculture. The major operation in

[Shri Ram Subhag Singh]

agriculture which is the most difficult is handled by them. Look at forest produce. The major forest work is done by the Scheduled Tribes people or the Scheduled Castes people. Then there is the road construction programme. Earth moving work of the stone breaking or stone carrying work, etc., is mainly handled by them. Even the construction of educational institutions or the Government offices, etc. is all done by them. If this is their responsibility, they should enjoy all the facilities that the country can provide and, therefore, I demand that compared to any other classes you must provide adequate source of livelihood to all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Also, give jobs to whosoever is in a position to work If you cannot give jobs, you should give land so that their economic condition may improve. This is the elementary philosophy of socialism, about which you go on preaching. According to the economic gradation, you take up the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people first and you may provide jobs to them and then later on this may be extended to other sections of the population if job opportunities are still available.

The hon. Member, Shri Suraj Bhan mentioned about poultry, piggery and other items and said that an amount of Rs. 1 0 is provided for those items. You may get this thing analysed, Sir. There is a committee headed by Mr. Basumatari. I do not know whether that Committee has gone into this problem or not. These people are the worst-housed section of the population in India.

The LIC gives housing facilities in certain big cities and may be, also in certain rural areas. I want to know whether the LIC has given any credit to any Scheduled Caste or Scheduled Tribes population or a group of such population or a group of such villages for construction of their houses. It is not so. Recently dozens of Directors were chosen for the Nationalised Banks. I do not know what facility by way of credit has been provided to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people out of the fund of the Nationalised Banks.

I would like to say that they should get their suitable quota, because, if it is meant entirely to financing industry or for the development of agriculture and other works, their work must not also be allowed to suffer and they should get their quota, according to their population.

Regarding homestead lands, I wish to point out that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are not having their housing plots Therefore, Sir, it will be my demand that a plot of land should be provided to each of the landless person who belongs to these two communities, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. For that purpose, my suggestion is this, that the state Government, —be it from the money given by the LIC or the Finance Ministry or the Planning Commission,—should constitute a fund, a big fund of the order of Rs. 500 crores or so, to provide at least a plot of land and some facilities so that they may get their houses constructed from out of such funds.

AN HON. MEMBER : Free of cost ..

DR. RAM SUBHAG SINGH : May be. By free of cost, what I mean is this. Suppose the Government goes to construct the house, it might say that it has spent Rs. 20,000 on a house whereas the work may not be of even Rs. 1,000. Therefore, I say, give that money to them, whatever be the money, whether it is Rs. 2,000 or Rs. 5,000. Let them buy the materials required out of that money and get their houses constructed.

AN HON. MEMBER : In different colonies; not in one colony.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I accept that. If you see the services and posts as governers or ambassadors you will find that these people are not represented there. Hardly anybody from these communities is noticeable. We are all grateful to Mahatma Gandhi because due to the effort of the Congress, and due to the efforts of other bodies also, the country's attention was particularly drawn to their pitiable condition.But still much more needs to be done. In the higher echelons of Government jobs, as has been pointed out already by Shri

Suraj Bhan, their number is negligible. In some of the jobs, they are not at all noticeable. For instance, out of 17 or 18, or if you take into account the Lt. Governors also, out of more than 20, there is not even one Scheduled Caste Governor. So is the case of Ambassadors. There is no Scheduled Caste Ambassador now. Shri Suraj Bhan has already pointed out about the competence of the Defence Ministry; we know the competence in view of what had happened in 1962 and how we fared. In the case of Ambassadorial posts also, we know what type of Ambassadors and Embassies we are having. If competent people who have been sent are doing incompetent job, then why should we not send people whom we consider incompetent and see what their performance is going to be? For, any person who comes from the remote rural areas can handle a job better as compared to others who learn only in better schools.

As regards profession, at the moment, the Scheduled Tribes people generally in North India are engaged in certain specific professions. For instance, they are engaged in collecting forest produce. One of the most important forest produces is shellac or lac. The Scheduled Tribes people do not get any help from Government in this trade or in other forest work, be it from the Central Government or the State Government.

SHRI BASUMATARI : They only clear the jungle; they do not get the money.

DR. RAM SUBHAG SINGH : So, I would suggest that we must take them towards other professions. They should be helped also in the professions that they are carrying on today by the State as well as the Central Governments. For instance, lac and shellac are handled by the Government of India. Why not help the Adibasis co-operating together or directly the Adibasi families which collect shellac in Madhya Pradesh, Bihar, UP, Bengal and other areas?

Similarly, they collect honey. Do the Government of India or the State Government know anything about it as to how they collect honey and what type of help could be given to them? No body has studied this problem and I would suggest that in this business also, the Government of India should move in a handsome way and give them handsome help by getting co-operatives formed or by directly floating some marketing centres where they could take their produce and sell at reasonable rates, because at present, their produce gets lesser price as compared to the market price.

Then, my hon. friend had pointed out about the shoe industry. There are many good companies, and even shoe is exported to foreign countries. But who are the people who are carrying on that business? Again, the Scheduled Castes people are not the main people in handling that business, and they do not get the help that is being given by Government, though, of course, the help that is being given is negligible. But even that help does not directly percolate to them. Therefore, I would suggest that this thing should also been looked into and they should be given all help that is possible to enable them to stand on their own feet.

Bonemeal is an important and perhaps the best fertiliser. It is the Scheduled Caste people who collect all the bones, who collect all the leather, but...

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu) : But they have no factories.

DR. RAM SUBHAG SINGH : They have no factories, but others have them. Why give them to others? Why could the Government not help them? A financial corporation should be floated to help the Scheduled Castes people to have their own factories, and to have at least one factory in every State for this leather tanning work, and it should be entirely manned by the Scheduled Caste people who handle this leather business. Some bonemeal factories also could be floated where bonemeal could be crushed. The bonemeal factories cost little, but no Scheduled Caste man operates that because he does not have that much of money.

They also deal in cattle, but there again they do not get any help from the Government. There should be some body to find

[Shri Ram Subhag Singh]

out how much help has been given in 1970 to the entire population which is called Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in running their professions. It may not run into millions but it would hardly run into lakhs. But that is not their share. They should be given the bulk share from all the financial corporations or the Finance Ministry or the LIC or other corporations. If it is not too much, I would say that nothing should be treated as an impossible proposition to wash away the sins of untouchability or ignoring these two important sections of our population. People came in lakhs, I think, about 10 milion, from the two wings of Pakistan, and they are being absorbed in the mainstream of our society. I would suggest that something must be done on a war footing, just as we maintain an army to protect our territorial integrity. Within a stipulated period of time, say five years or four years, we must do something whereby this sin of untouchability and social disability and poverty is wiped out from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population.

SHRI BASUMATARI : I am very happy that this Department has at its helm Shri Hanumanthaiya who was a Chief Minister previously and who was a Member of the Constituent Assembly in 1946, colleague of mine since then and has been in the legislature since then, I am also glad that Shri Jaganath Rao who is my esteemed friend is also there as Minister of State in this Ministry. I have no dubt at all that if they apply their minds, they can really do something for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri Govinda Menon when he was in charge of this Department used to understand the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He might not have understood them before in such better light, but after we had repeatedly drawn his attention to them, even when he was not well he promised to do many things which we had suggested.

Government deserve our congratulations for extending the reservations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for another ten years. I am also happy that they have introduced a Bill to amend the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and have also agreed to constitute the Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is true that sometimes we use bitter language. But I feel that only the bitter language is being understood by Government. But since my hon. friend who has spoken has already used bitter language. I do not like to use bitter language.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hard words break no bones.

SHRI BASUMATARI : I want to remind my hon. friend the Minister that when he was the Chief Minister of Mysore, he had constructed the Assembly building and hostel there. So. I appeal to him to make a name for himself by doing something for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that they can come up to the same level as the other communities.

He was in the Constituent Assembly. He knows very well how the reservation for Scheduled Castes and Schedu'ed Tribes came to be incorporated in the Constitution. It was only due to Mahatma Gandhi who said that unless the particular provision was incorporated in the Constitution he would go on fast. Only then we got this special provision to develop the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to bring them to the level of the other communities within 10 years.

Within ten years they could not do anything for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and so, the period was extended by another ten years. After 20 years it was admitted and revealed in the Report of the Dhebar Commission of which I was a Member and had the privilege of going round the country, that nothing could be done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, after 20 years, the period was extended again by ten years.

You know I have the privilege of heading the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This

Committee was referred to by my friends Dr. Ram Subhag Singh and Shri Suraj Bhan, I have been visiting every nook and corner of the country, jungle and what not. I have found that things are worse, not better. Why do I say so ? There is a reason behind it. The literacy of the nation during the time of the British was five per cent. Now it has increased to 24 per cent. But the percentages of literacy of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are said to be ten and eight respectively, but even that is doubtful. I had the privilege of speaking to my late friend Shri Govinda Menon. When I visited his part of the country, what did I see ? Mr. Deputy Speaker, you were there with me. Some students had been collected from the hills, and they were there, only for two years. After two years, there is no provision for them to study further. I visited all the villages of those students who were collected and I found that, not to speak of reading, they could not write their own names. So it was proved that these figures of eight and ten per cent are not correct.

The other day I visited Kerala. It has the highest literacy rate in India, but the percentages of literacy of Scheduled Castes and Scheduled Tribes there are said to be 24 and 17 respectively. So, even in Kerala this is the plight of their education.

In 1946 they had no ambition, but after independence they have the ambition to come to the level of the other communities, and they feel that they are deprived. Mr. Deputy-Speaker, you are very fortunate to have had good education under the Missionaries. If such Missionary zeal is not there, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be developed.

Everywhere we found that there were big buildings, but no schools. In Kerala, rather in the whole of South India, there is no school at all for the Scheduled Castes and Schedules Tribes. If at all, there are one or two scattered here and there. But there are tarred roads where we can go in beautiful cars supplied by the Government. When we found the condition of the tribals, you also wept to see how they live in the primitive age. They do not know how to use oil, how to speak. We found one school which was full of cow dung, and there were swine and we could not enter. That was the school for the Scheduled Tribes in the hills of Kerala.

The other day, we visited the tribal area of Orissa. I visited that place ten years ago when Dr. Mehtab was the Chief Minister. I brought this to the notice of Dr. Mehtab and asked him ; what is this Dada, when you are the Chief Minister, how can you tolerate this, a community of 10,0 0 persons, completely naked ? He told me : "I am not responsible for that ; Sita is responsible for that; when Sita was exiled she was laughed at by the tribal ladies while taking bath in Saptadhara river without cloth and so Sita cursed them : 'If you put clothes on you, you will die'." That was a legend. We find the whole community without any proper shed; they do not know how to use clothes. It is because of extreme poverty. Now, again, after ten years I went there, last month and I wanted to visit that area particularly. When I visited that area I found the same position, completely naked. We asked them : why did you not put your clothes on ? In other places, people are so advanced, We asked them : Do you not feel shy ? They replied ; from where to get money for the clothes ? We visited another tribal area and had a big meeting; tribals came and some of us spoke in Oriya and it was translated to them in their language, they understood what was said but they did not understand the implication. Why ? Because of lack of education. After twenty years they ask : what is education ? That is, in the State of Shri Jaganath Rao.

Our friend referred to some schools. We visited some schools. In one area, I asked whether the teacher came there or not ? The teacher comes only on Mondays. He does not stay there ; he stays in the town ; there is no accommodation for him in that place. We found only three or four schools in the whole area. In the old days in one mauza we had only one or two schools; now you will find 45-90 schools; mauza is a taluk. There are L.P. schools ; high schools. My purpose is only to show that if they applied their mind, they can open more schools and give them education and develop better people. Unless those people are developed, you cannot develop this coun-

[Shri Basumatari]

ntry. During our tours we have found that there are young IAS officers. When I told one of them that they should deal with their educational and other measures for development on a war footing, he whispered to me: if you want us to work on a warfooting, we are prepared to do so and we can do so but we shall be in trouble; we may be transferred. I believe personally that education alone can do a lot and if you give them good education, you need not even spend so much money. Dr. Ram Subhag Singh was talking about poultry farm and other things; that is humbug. His intentions are very good. What I mean is that you cannot improve the economic condition of the tribal by that alone. Because you give only Rs. 25 or Rs. 50. In my State of Assam, I opposed it, and I said to them, "Do not give it. Do not create more trouble. Do not create them as beggars." Why did I say it? You think it is enough just to give them Rs. 50 or Rs. 100 for poultry. They are to go to the town for this Rs. 25 or Rs 100, and what do they do? They just spend the money on tea or something. This way you cannot do anything. So, if your intention is to develop these people, if you do not want to hear any bitterness from us, you must be sincere and be true to what you utter. That is my point.

16 hrs.

My friend pointed out about the services. I do not like to repeat that point. But what about the IAS? For IAS we have got two or three centres of training, at Allahabad, Madras and so on. We spend a lot of money on them. There, you find certain things. I do not like to quote because there is no time. The Minister knows it and others know it. The percentage of these backward people is better in the IAS than in the Class II and Class III services. Why do I say this? It is particularly with the intention of saying that they are given better education; by birth they are not inferior. You cannot use these words "suitable candidates are not available" for the jobs. These words are very painful words; to me really they are painful words. It may suit a person who appoints them. I know even some first class graduates or double MAs or triple MAs do not find a clerical job. I do not want to cite many instances. My friends have already cited many examples. But I would like to tell you only one thing. A young lady graduate belonging to the Scheduled Castes applied for a job in the Indian Airlines. She did not get the job. She was not considered suitable. But on another occasion when she did not mention that she belonged to the Scheduled Castes, she got the appointment. Was she considered 'suitable' then? Is this called "suitability"? Is there any meaning to it? It is hard to understand.

Now, I happened to see many places in the country and met people of various walks of life including Hindu Mahasabites and Jan Sanghis—inside and outside the Parliament House—and many other people are very allergic to reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They do not understand why this has been provided under the Constitution. They do not understand it at all. If that is so, what to say about others?

Even in the statement made by Shri Jagjiwan Ram, the Minister of Defence, in reply to some questions about the recruitment to the armed forces; he was asked whether it was true that recruitment to the armed forces shou'd not be made on a communal or religious basis. (*Interruption*) when I asked whether his statement will not stand in the way of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services, he said in reply: "Don't you see the attitude of the House? Don't you see the attitude of the Government? How is it possible for us to improve"? So my purpose in saying all this is only this: I do want to appeal to the House; do not make it a political issue for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is national issue.

My friend spoke about national integration; national integration not for scheduled Castes and Scheduled Tribes but it is national integration only for certain communities about whom we think in terms of politics.

Now, I come to another point. We have been discussing the reports on this subject

time after time and year after year. We have already submitted five reports. From the replies to the reports. we find that the Government are also very reluctant to accept our suggestions. The late Shri Govinda Menon said that our Committee is a watch dog committee and that they would accept in toto whatever report we submit to the Government. He said he would bear in mind all that the Committee submits. But what about the officials ? When he met the officials, it was found very difficult for him to get the work through. Why do I say this? On the one side, this committee has been constituted, but it is just to bluff the nation I use the word 'bluff' with a purpose. This committee has been constituted as a watch-dog to see that the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes are implemented. But at the same time, circulars have been issued by the social welfare departments to all the States that the number of scheduled caste and tribe students has increased and there should be restrictions on their scholarships. There is a restriction based on the income of the parents and unless postgraduate students get 45 per cent marks, they will be deprived of scholarships. So many restrictions are there and the money allotted in 1951 has not been increased. At the same time, they say that the students have increased enormously. Has not the number of caste Hindus increased ? It has increased twenty times. They do not think about that. Is it not the duty of the Government to bring the scheduled castes and tribes to the same level as the other people ? Be true to what you say. Don't try to bluff the nation. This is a national problem.

You talk of socialism. What is socialism unless these sections of people are brought to the same level as the others ? Without doing that how can you think of socialism ? It is a political slogan. Whoever talks about socialism does not bother about the scheduled castes and tribes. I am not referring only to the Congress. All communist countries and even America talk of socialism. It means removal of all barriers and bring the down-trodden people to the same level as the others. Unless this community is brought to the same level as the others, how can you talk of socialism ? It is a big political fraud.

I appeal to both the ministers. They are very good friends of mine. The senior Minister has been Chief Minister and is one of the national leaders. Please look at it as a national probem and solve it within a short period of time. We do not want it to be repeated that the scheduled castes and tribes are backward, down-trodden and all that. You should not judge the scheduled castes by looking at Mr. Daschowdhury or other scheduled caste and scheduled tribe MPs in Parliament. About 80 per cent of the scheduled castes and tribes are landless people. They also suffer from the *Godhi* or bondage system. If somebody borrows Rs 10, the whole family is under bondage to him. In Orissa, they have Regulations 1 and 2. I asked a young IAS officer what has been done about these Regulations 1 and 2 and what percentage of land has been restored. The reply was nil. It has been going on for ages. The Congress Government failed to do anything about it and the present Government also has not done anything. It is all bluff. Why do you bluff ? So, I appeal to you : be sincere in what you say and try to implement what you promise. Do not try to bluff us. We do not say that we are also leaders like you and we also have a position in society. If we do not get anything from you here, how can we go to our state or area and with what face can we meet our people ? So, I appeal to you again : be sincere in what you say and promise.

श्री मीठालाल मीना (सवाई माधोपुर) : एक तरफ देश के धनी लोग टेलीविजन पर मानव को चन्द्रमा पर जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में आज भी जो आदिवासी लोग हैं वे नंगे घूम रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमने खुद उनको नंगे घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। उड़ीसा के गोंडा प्रजा जाति के जो लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आज भी खुले आम नंगे घूमते हैं, उन की औरतें नंगी घूमती हैं। इस चीज से आज के जमाने में आश्चर्य होना स्वाभाविक है।

हर बार रिपोर्ट आती है। पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है जिस पर हम बहस कर रहे हैं। आज भी देश की इस दशा

[श्री मीठालाल मीना]

को देख कर हम सबको शर्म आनी चाहिए और शर्म से हमारा सिर झुक जाना चाहिए। मैसूर में आज भी दासी प्रथा चलती है। इसको निर्लज्ज चीज माना जाता है लेकिन फिर भी यह प्रथा वहां चालू है। इसको उन्नति की निशानी नहीं कहा जा सकता है। ये जो चीजें हैं इनकी ओर आपका जल्दी ध्यान जाना चाहिए।

16. hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

सबसे ज्यादा जरूरी विषय अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का है। उच्च स्तर पर इसके बारे में जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक उन लोगों में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनका विकास करना है तो उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। बच्चे-बच्चियों के रहने के लिए कालेजों में जगह होनी चाहिए, उनको मुफ्त किताबें, कपड़े आदि दिये जायें। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तब जाकर उनका स्तर सुधरेगा और वे पढ़ाई कर सकेंगे। ये लोग शहरों से बहुत दूर बीहड़ जंगलों में रहते हैं। वहां पहले तो स्कूल नहीं होते और अगर होते हैं तो वहां अध्यापक जाने के लिए तैयार नहीं होते। जिन अध्यापकों को वहां भेज भी दिया जाता है वे अपने लिए इसको एक सजा मानते हैं। राज्य अधिकारी जो होते हैं वे उन में दिलचस्पी नही लेते। वे वहां दौरा करने नहीं जाते और न ही देख पाते हैं। महीने में बीस दिन वे स्कूल बन्द रहते है। दस दिन चलते हैं तो बिना अध्यापक की दिलचस्पी के उनको चालू रखा जाता है। उन लोगों में पढ़ाने की भावना नहीं होती है और वे सजा मानकर वहां चले जाते हैं। इस वास्ते छात्रावासों की व्यवस्था की जाए और सरकार द्वारा वहां सारी सुविधायें उपलब्ध कराई जावें।

आज भी गांवों में लोग अपने बच्चों को एक आर्थिक इकाई के रूप में मानते हैं। उनके जरिये पशुओं को चराने का काम लिया जाता है, मजदूरी उनसे कराई जाती है, खानों में काम उनसे वे कराते हैं। इस तरह से उनको वे आमदनी का एक जरिया मानते हैं। सरकार को इस गलत प्रवृति के विरुद्ध इस तरह का प्रचार करना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। सरकार को उन लोगों को विशेष सुविधा भी देनी चाहिए, उनको आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पढ़ा सकें।

मैं मानता हूं कि जितने छात्रावासों की आवश्यकता है उतने आप नहीं खोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रबन्ध तो आप करें ताकि उनके रहने की व्यवस्था हो सके, नल की उन के वास्ते व्यवस्था हो सके, बिजली की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार की जो दूसरी सहायता है वह तो कम से कम उनको प्रदान की ही जा सकती है।

राज्यों में जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनका आजकल स्तर बहुत गिरा हुआ है। आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमें इसका पता है। वहां बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। कई जगह-आपने केन्द्रीय स्कूल खोल रखे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्रीय स्कूल हो जोकि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, नमूने के तौर पर जरूर खोला जाना चाहिए ताकि दूसरे स्कूल उससे प्रेरणा ले सकें और बच्चों की पढ़ाई का वहां भी स्तर ऊंचा हो सके।

दोपहर के भोजन के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी। उसको कार्यान्वित किया जा सके

तो बहुत अच्छा होगा। कई जगहों पर भोजन नहीं मिलता है। अगर दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी जाए तो बच्चे उस ओर आकर्षित होंगे और स्कूल आने लग जायेंगे। उस अवस्था में घर वाले भी उनको स्कूल भेजने में दिलचस्पी लेने लग जायेंगे। इन लोगों को पौष्टिक पदार्थ नाम को भी नहीं मिलते हैं। यदि उनको दोपहर के भोजन के समय पौष्टिक पदार्थ दे दिये जायें तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी और पढ़ाई भी वे अच्छी करने लग जायेंगे। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

जो छात्रवास चलाए जा रहे हैं उन में पैसे का भारी दुरुपयोग होता है। जिला अधिकारी कभी जाकर उनको देखते तक नहीं हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर भी राज्य सरकारों का पूरा ध्यान नहीं जाता है। केन्द्र अनुदान देता है। उसके देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वह कितने देख सकता है। मेरा सुझाव है—कि केन्द्र सीधे अनुदान दे और अपने अधिकारी सीधे वहां जांच करने के लिए भेजे। राज्य सरकारों के अधिकारी छात्रावासों की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

स्कालरशिप्स का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार ने माना है कि स्कालरशिप्स की राशि बढ़ाई जाए लेकिन अभी तक वह बढ़ाई नहीं गई है। इसके कारण भी बड़ा असन्तोष है। राशि जो दी जाती है वह भी समय पर नहीं दी जाती है। जब स्कूल खुलते हैं और पुस्तकें आदि खरीदनी होती हैं तब राशि न देकर छः सात महीने के बाद या जब परीक्षायें होती हैं, उस समय दी जाती हैं। तब यह राशि देने से जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि स्कूल खुलते ही उनको यह राशि मिल जाए ताकि किताबें आदि वे खरीद सकें और पढ़ाई से सम्बन्धित चीजें खरीद सकें।

जिनकी आमदनी 3600 से ऊपर है उनके बच्चों को स्कालरशिप नहीं दिया जाता है। यह जो प्रतिबन्ध है, वह बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। इन लोगों के माता-पिताओं की आमदनी चाहे जितनी हो उनके लिए स्कालरशिप का प्रबन्ध होना ही चाहिए, हरिजनों और आदिम जातियों के बच्चों के लिए आमदनी का खयाल किये बिना स्कालरशिप उनको दिया जाना चाहिए।

यह आशा की जाती है कि इनके बच्चे भी उच्च जातिके बच्चों के बराबर शिक्षा में उन्नति कर लेंगे। लेकिन यह आशा कैसे पूरी हो सकती है। जो पैसे वाले हैं वे अपने बच्चों को मसूरी, देहरादून, माउण्ट आबू आदि जगहों पर बढ़िया पब्लिक स्कूलों में भेज कर शिक्षा दिलवाते हैं किन्तु आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोग दो सौ या ढाई सौ प्रतिमास खर्च नहीं कर सकते हैं। दोनों का स्तर एक समान कैसे हो सकता है, ये गरीब बच्चे उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ये लोग भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज सकें, इसका उचित प्रबन्ध आपकी तरफ से होना चाहिए और इसके लिए उनको विशेष सुविधा देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

भूमि और कृषि की समस्या भी है। यह समस्या सब जगह सिर उठा रही है। भूमि हथियाओ आन्दोलन चल रहा है। जबरन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। अभी तक सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया है। अब शायद वह ले। नक्सलवादियों का मामला भी क्यों उठा है। वहां कम्युनिस्टों की जब सरकार थी तब उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सुविधायें न दी जाएं ताकि उनमें क्रान्ति की भावना और जोर पकड़े। पहले जो सरकार थी उसने इनकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया कि ये लोग उसके साथ नहीं थे। पहले इन लोगों से जंगलों में बेगार में काम लिया जाता था। अब कानून बना दिया गया है कि वह नहीं लिया जायेगा। उनको पहले 90 से 150 दिन एक साल में बेगार करनी पड़ती थी। अब कानून

[श्री मीठालाल मीना]

बनाकर इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। पाँच बीघे या दो एकड़ भूमि उनको देकर मानो उन्हें खरीद लिया गया है। साल भर सारे घर वालों से काम लिया जाता है। गांवों में आने-जाने के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बसें नहीं हैं। ऊपर से तो उनको कह दिया गया है कि उनको जमीन दे दी गई है और अब वे खेती करें लेकिन अन्दर अन्दर ही कागजों पर पटवारी व अन्य अधिकारियों ने उसको दूसरे किसी के नाम कर रखा है। जब इसकी शिकायत हुई तो पता चला कि उनके नाम भूमि थी ही नहीं। इसी कारण से आज यह नक्सलवादी आन्दोलन चल रहा है। इस ओर आपका अविलम्ब ध्यान जाना चाहिये। भूमि देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बेगार बन्द होनी चाहिये।

इन लोगों के मुकदमे भी बहुत होते हैं। इंजीनियरों की तरह से वकीलों में भी बेकारी दिनों-दिन बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ उनके साथ अत्याचार या अन्याय हो वहाँ सरकार इस तरह के वकील उनके मुकदमों की उचित पैरवी करने के लिए रखे और सरकार उनको वेतन दे।

कृषि के विकास के लिए बैंक बहुत कर्ज दे रहे हैं। लेकिन उन तक ये पहुंच नहीं पाते। ऊपर से पैसा प्राप्त करने में वे बिल्कुल असफल रहते हैं। अभी दो तीन दिन पहले यह कानून बनाया गया है कि स्टेट बैंक की शाखायें दस मील से बाहर के क्षेत्र में काम नहीं कर सकेंगी। इस समय गांवों में बैंकों की शाखायें आम तौर से एक दूसरे से चालीस पचास मील दूर स्थित होती है। इस स्थिति में दो बैंकों के बीच में जो क्षेत्र है, उसमें रहने वाले आदिवासी बैंकों से कोई सुविधा नहीं उठा पायेंगे। आदिवासियों को बैंकों से सुविधा मिलने की जो आशा की गई थी, इस प्रकार वह बिल्कुल खत्म हो गई है।

यह भी देखा जाता है कि आदिवासियों की जमीनों को उच्च जाति के लोग खरीद लेते हैं, हालांकि कानून के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर रेवेन्यू अधिकारी यह समझता है कि किसी आदिवासी की जमीन बेचना उचित है, तो ऐसा किया जा सकता है। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर पैसे वाले लोग रेवेन्यू अधिकारी से सांठ-गांठ करके आदिवासियों की जमीनें खरीद लेते हैं।

जमीन के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सवाई माधोपुर में पीलुखड़ा गांव, तहसील बौली के किसानों को 1949-50 में मोरेल सागर बांध बनाए जाने पर हटा दिया गया और उनको कहा गया कि उनको जमीन और पक्के कच्चे मकानों का मुआवजा दिया जायेगा और उनको कहीं और जमीन दी जायेगी। 1964-65 तक वह जगह बिल्कुल पानी में डूबी रही। उसके बाद जब पानी थोड़ा खाली हुआ, तो उन लोगों ने वहां खेती कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर एक-एक आदमी पर तीन-तीन चार-चार हजार रुपए पिनेल्टी लगाई गई। उन लोगों को कोई मकान या जमीन नहीं दी गई है। लेकिन दस साल के बाद जब वह जमीन खाली हो गई और उन लोगों ने एक साल उसको बो लिया, तो एक गांव पर लगभग सत्तर हजार रुपये की पिनेल्टी लगा दी गई क्योंकि वह जमीन सिवाय चक-दर्ज हो चुकी थी। वे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें चाहे दूसरी जमीन तो दी जाये, लेकिन हमारी अपनी जमीन तो दे दी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब वहां पानी भरा रहे, तो वह कानून के मुताबिक एक चौथाई लगान देने और जब वे खेती करेंगे, तब पूरा लगान देने के लिए तैयार हैं। इस बारे में मुकदमे चल रहे हैं। उन लोगों पर उनकी अपनी जमीन पर खेती करने के अपराध में पिनेल्टी लगाई गई है।

सरकार द्वारा खेती के बारे में ट्रेनिंग स्कूल चलाये जा रहे हैं। उड़ीसा में यह काम रामकृष्ण मिशन की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार गांवों के बजाये शहरों में कृषि कालेज अधिक खोल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि के सुधार और आधुनिक यन्त्रों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए कालेज वगैरह गांवों में और पिछड़ी जातियों के इलाकों में खोले जायें, ताकि वे लोग खेती के धन्धे को सुधार के साथ बढ़ा सकें।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ठेके, लाइसेंस, सरकारी कारखानों की उत्पादित वस्तुओं की एजेन्सी और प्राइवेट फर्मों की एजेन्सी के बारे में इन जातियों का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी कम्पनियों और सरकारी कारखानों की एजेन्सीज बड़े आदमियों के कहने पर बड़े आदमियों को दी जाती हैं। इन लोगों को नहीं दी जाती हैं। गांधी शताब्दी वर्ष में मकानों वगैरह के प्लाट दिये जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को औद्योगिक लाइसेंस नही दिये जाते हैं जबकि अन्य लोगों को तुरन्त दे दिये जाते हैं।

अनुसूचित जाति के लोग हड्डी और चमड़े का काम करते हैं, लेकिन हड्डी के ठेके ऊँची जाति वाले ले जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन ठेकों की नीलामी होती है और उसमें भंगी जाति के लोग दूसरों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हड्डी-चमड़े के ठेके केवल भंगी जाति के लोगों को उचित राशि पर बिना नीलाम के दिये जायें।

जहाँ तक इन जातियों की कर्जदारी का सम्बन्ध है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा में 100 रुपये पर साल में 668 परसेंट के लगभग ब्याज देना पड़ता है, अर्थात् 100 रुपये के अतिरिक्त 668 रुपये देने पड़ते हैं। यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति दस रुपये उधार लेता है, हर सातवें दिन उसको सवा रुपया ब्याज का देना पड़ता है। यह धंधा अभी भी चालू है। अगर यही हालत रही, तो इन जातियों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है?

आज नौकरियों में यह स्थिति है कि अगर किसी उच्चाधिकारी की इच्छा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति को लेने की नहीं है, तो कह दिया जाता है: सूटेबल कैंडीडेट नाट ऐवेलेबल। हर जगह ऐसा ही किया जाता है। इसलिए सब सरकारी विभागों में यह नियम बना देना चाहिए कि अगर किसी पद के लिए इन जातियों का उचित उम्मीदवार न मिले, तो उस पद को तब तक खाली रखा जाये जब तक उचित उम्मीदवार नहीं मिल जाता।

मेहतर जाति के लोग सरकारी दफ्तरों में झाड़ू देने और सफाई वगैरह का काम करते हैं। दस पन्द्रह सालों के बाद उनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि फलां अफसर कहाँ बैठता है, वगैरह। लेकिन दस पन्द्रह सालों के बाद भी उन लोगों को वही काम करना पड़ता है और उनके प्रति हीन भावना रखी जाती है। अगर उसी दफ्तर में चपरासी की जरूरत होती है तो बाहर से भर्ती करके जगह भर ली जाती है। जो व्यक्ति पंद्रह सालों से झाड़ू देने का काम करता है, क्या वह फाइल रखने और देने का चपरासी का काम नहीं कर सकता है? क्या उस सफाई करने वाले की पदोन्नति करके उसको चपरासी नहीं बनाया जा सकता है? आखिर चपरासी का काम फाइल रखना और बाबूजी के लिए साग-सब्जी लाना ही तो होता है। इस लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की चपरासी के पद पर पदोन्नति कर दी जाये, न कि उनसे उम्र भर झाड़ू देने का ही काम कराया जाये।

हम देखते हैं कि गांवों में छूआछूत की शिकायतों के बारे में पुलिस पूरी कार्यवाही नहीं करती है। अगर कोई शिकायत की जाती है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि सवर्ण जाति वालों

[श्री मीठा लाल मीना]

के खिलाफ मामला दर्ज कराके क्यों हमें बुरा बनाते हो और इस तरह वे लोग केस दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि पुलिस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर्ती किया जाये। इससे छुआछूत की शिकायतों के बारे में पूरी सुनवाई हो सकेगी। विशेषकर अनुसूचित जातियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुलिस में भर्ती करने का प्रयत्न किया जाये।

सरकार के अन्य विभागों में इन जातियों के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन मिलिटरी में नहीं है। क्या इन जातियों के लोग इसके लिए उपयुक्त नहीं है? मैं समझता हूँ कि वे बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसलिए मिलिटरी में भी इनका अधिक से अधिक रिजर्वेशन रखा जाये।

चैरिटेबल कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत सैंट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड को 1 अप्रैल, 1969 के दिन से एक चैरिटेबल कम्पनी बना दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार का इरादा इस सारे विभाग को एप्रिल फूल बनाने का हो। जब तक सरकार पूरी तरह से इन जातियों के उत्थान के बारे में सचेत नहीं होगी, तब तक इन लोगों के लिए उन्नति का कोई रास्ता नहीं है। इन जातियों की तरक्की तभी हो सकती है, जब सरकार पूरे दिल से इनके लिए काम करे।

इन लोगों को हर मामले में हीन भावना से देखा जाता है। जब तक सरकार मेहतरों का धन्धा, टट्टी साफ करने का बिल्कुल समाप्त नहीं करेगी, तब तक छुआछूत की भावना नहीं मिट सकती है। शायद गाँवों में ऐसा करना सम्भव न हो, लेकिन कम से कम शहरों में तो यह काम आधुनिक नवीन यन्त्रों के द्वारा कराया जा सकता है। इसके अलावा मेहतरों की जगहों के लिए एड्वरटाइजमेंट कर के दूसरी जातियों के लोगों को भी रखना चाहिए। तब अनुसूचित जातियों के प्रति हीन भावना समाप्त हो जायेगी। अगर मेहतर की तनख्वाह 400 रुपए भी कर दी जाये, तब भी छुआछूत रहेगी। जब तक दूसरी जाति के लोगों को भी इस काम के लिए नहीं रखा जायेगा, तब तक छुआछूत की भावना को समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, छुआछूत के मामले में सरकार यह कर रही है कि कानून से इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाये। कुएँ से पानी भरने पर या और जगहों पर उनके लिए कोई रोक-टोक न हो इसके लिए भी उसमें इन्तजाम है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसका एक ही हल है। उन लोगों में जब तक इस बात का विश्वास पैदा नहीं किया जायेगा, यह समझाया नहीं जायगा कि स्वर्ण जाति के लोगों में और उनमें कोई फर्क नहीं है तब तक यह भावना समाप्त होने वाली नहीं है।

इन सुझावों के साथ ही मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जो पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा है और कमिश्नरों की रिपोर्टों में भी काफी कुछ लिखा है उनको दस प्रतिशत भी आप मान लें तो इन लोगों का उद्धार हो सकता है। मैं निवेदन करता हूँ कि पेरूमल कमेटी की और कमिश्नरों की जो रिपोर्ट है तथा इसके अतिरिक्त आपकी पार्लियामेंट की जो कमेटी हैं उसकी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उनको तो कम से कम मान लीजिये। वह तो आपकी कमेटी हैं, गवर्नमेंट की कमेटी है। अगर नहीं मानेंगे तो इस वाद-विवाद से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूँ कि इनको मान लिया जाय और इनके उद्धार के लिए आप जल्दी उच्च स्तर पर प्रयत्न करें।

श्री मंगरू उइके (मंडला): सभापति महोदय, पहली बात तो मेरी समझ में यह नहीं आती है कि हर साल हम रिपोर्ट के ऊपर यहाँ बहस करते हैं उसका क्या असर होता है क्योंकि

इसको जो सारा काम अमल में लाना है वह स्टेट गवर्नमेंटों को लाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लिखती है। उसके बाद में वह क्या करते हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक देखती है या स्टेट गवर्नमेंट उसको कहां तक अमल में लाती है यह देखने वाला कोई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोस्टमैन का काम करती है। ··(**व्यवधान**) .. एक ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए।

श्री मंगरू उइके : ट्राइबल मिनिस्टर बनने से भी कोई मतलब हल नहीं होता। दिल होना चाहिये। अगर दिल है तो सारी बातें होती हैं, मैंने अपने ट्राइबल्स को भी देखा कि बोगस होते हैं, कोई काम नहीं करते। मेम्बर बन गए, एम० एल० ए०, एम० पी० बन गये, मिनिस्टर बन गये तो कुछ करते नहीं। मेम्बर बनने के बाद फिर यहां आकर कहीं डिप्टी मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ करते हैं और अपने भाइयों को भूल जाते हैं। तो मेरा यह कहना नहीं है कि ट्राइबल को मिनिस्टर या एम्बेसेडर बनाने से कोई उन्नति होगी। यह कहना गलत है। इस रिपोर्ट के ऊपर ही बहस करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट में भी हमारा शोषण होता है। वह इस माने में कि हर साल की रिपोर्ट पर हर साल बहस हो तो कुछ तो उसका लाभ होगा। कुछ नहीं तो मेम्बरों के कानों के ऊपर कुछ आवाज जायगी। पर तीन-तीन सालों के बाद सारी रिपोर्टों पर एक साथ बहस करने से क्या फायदा है? और फिर तीन साल की रिपोर्ट पर पांच घण्टे का टाइम देते हैं तो यह शोषण है हमारा। पार्लियामेंट में हमारा शोषण है। तो यहां से हमारा शोषण शुरू होता है।

इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है, असल में इस रिपोर्ट को मैं कुछ पसन्द करता हूं, इसमें कुछ दो चार उदाहरण अच्छे दिए गए हैं। इस में शिक्षा के सम्बन्ध में कमिश्नर ने साफ लिखा है कि जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। उनका कहना ठीक है। हम भी कहते हैं कि उतनी प्रगति नहीं हुई। इसलिये नहीं हुई, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात बताऊं सारे हिन्दुस्तान की तो बात अलग रही, मेरे यहां मध्य प्रदेश में 5·09 परसेन्ट आदिवासी लिटरेट हैं। 5·09 परसेन्ट हमारे यहाँ इनकी लिटरेसी है। तो कितने पिछड़े हुये हैं? अब यह भी देखिए कि आदिवासियों के यहाँ शिक्षण की आज तक 22 साल में व्यवस्था क्या हुई; तो यह है कि जहां प्राइमरी स्कूल में जाने वाले 58 परसेन्ट स्टेट के अन्दर हैं वहां आदिवासी 36.61 परसेन्ट हैं। जहां माध्यमिक स्कूल में जाने वाले कुल 21 परसेन्ट है वहाँ आदिवासी बच्चे 4·76 परसेन्ट हैं। जहाँ हायर सैकेण्ड्री में जाने वाले 9·20 परसेन्ट हैं वहां आदिवासी बच्चे 1·50 परसेन्ट हैं। आदिवासी इलाके में, जहाँ कुल 13863 स्कूल हों वहाँ उनके स्कूल केवल 6414 हैं। 7449 स्कूल कम हैं। तो लिटरेसी बढ़ना उसमें एक मुश्किल बात है। मिडिल स्कूल जहाँ 800 हैं वहाँ कुल 635 हैं। 165 स्कूल की कमी हैं। इस तरीके से स्कूल जो कुछ भी हैं उन स्कूलों की क्या हालत है? इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मास्टर वहाँ रहते नहीं इन स्कूलों में और महीनों गैर-हाजिर रहते हैं और विद्यार्थी बहुत कम उपस्थित रहते हैं। यह सही हैं। क्योंकि गाँव छोटे छोटे, आदिवासी इलाके के अन्दर पाँच पाँच, छः छः मील की दूरी पड़ते हैं जहाँ से बच्चे उतनी दूर तक आ नहीं सकते हैं। बहुत कम बच्चे आएंगे। मास्टर वहाँ क्यों नहीं रहेगा क्योंकि उसकी सोसाइटी नहीं है। हम एक पंजाब के मास्टर को प्राइमरी स्कूल में वहाँ भेज देते हैं। एम० ए०, बी० ए० पास वाले मास्टर वहाँ रह नहीं सकते। ऐसी जगह में अगर आपको वहाँ अकेला छोड़ दिया जाय तो आप वहाँ रह नहीं सकते। उन गाँवों की आबादी जंगलों में है। तो पंजाब का मास्टर एम० ए०, बी० ए० जो वहाँ पढ़ा है वह वहां क्या रहेगा? वह नहीं रहेगा। छोड़ कर चला

[श्री मंगरू उइके]

जायेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आफिसर सुपरवीजन नहीं करते। बिलकुल सही बात है। हम जिस कमीशन के साथ अभी आठ नौ दस जिलों का टूर किए हैं उसमें हमने देखा कि क्या उनके अधिकार हैं, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो फिर वह ट्राइबल्स का विकास किस तरह से करेंगे। एक बात और इसमें दी हुई है। यह मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाऊंगा। जरा इंग्लिश मेरी कमजोर है, उतना प्रोनंसिएशन मेरा ठीक नहीं होगा। .. (व्यवधान)...यह 69 की रिपोर्ट है, पेज 3, पैरा 1—18—

> "There is another feature in the sphere of Education which is of a disturbing nature. It has been estimated that out of all the post matriculation scholarships, two thirds of the beneficiaries come from Assam and Bihar, although only one-fifth of the total tribal population lives there."

आज बिहार में और आसाम में 1/5 आदिवासी रहते हैं हिन्दुस्तान के आदिवासियों में से लेकिन स्कालरशिप जाती है 2/3 वहां। अब समय आ गया है इस बात पर विचार करने का। अगर इस विकास के कार्य और शिक्षण के नाम के ऊपर आदिवासियों का धर्म-परिवर्तन तेजी से बढ़ाना है इस पार्लियामेंट को या इस सरकार को तब तो ठीक है। वरना यह जो इस तरह का पक्षपात हो रहा है और यह खर्चा जो इस तरह हो रहा है इस पर कुछ बन्धन डालें। जिस प्रदेश में जितनी संख्या है उसका जितना परसेन्टेज आता हो उस हिसाब से स्कालरशिप की रकम का डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए। अब यह स्थिति क्यों है? यहां समाज कल्याण मिनिस्ट्री जो है यह हर प्रकार से इनकी मदद करने वाली है। आपके सामने मैं एक बात और रखता हूं। स्कालरशिप इन आदिवासी बच्चों को मिलना कितना मुश्किल है, इसका अन्दाजा आप लगाएं। मैं यहां पार्लियामेंट का मेम्बर हूं। मेरे नोटिस में एक बात आई। मैंने अप्लीकेशन का फार्म मंगाया वहां से। दो फार्म मेरे पास आए मेरी स्टेट से। वह फार्म दो प्रकार के हैं। कलर इन फार्मों में अलग अलग दिया गया है। एक आदिवासियों के लिये, एक नोमैडिक, घुमन्तक आदिवासियों के लिये और एक डी-नोटिफाइड आदिवासियों के लिये, तीनों के लिये अलग अलग किस्म के फार्म हैं—हरे, सफेद और लाल। सफेद तो आदिवासियों के लिये है। आदिवासियों के लिए जो इयरली इनकम है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस फार्म के अन्दर वह कालम है। अब अगर वह इनकम के लिए रेवेन्यू आफिसर के पास जाता है तो उस बच्चे को रेवेन्यू आफिसर के पास से उसको फिल अप करवाने में कितनी मुश्किल पड़ेगी यह आप समझ सकते हैं—कचहरी के दरवाजे में जाना उसके लिये मुश्किल है। और यह आदिवासियों के लिये लागू नहीं है। यहां मैंने डायरेक्टोरेट से पूछा, टेलीफोन किया कि क्या बात है, तो उन्होंने एक लम्बा तार दिया। इसके लिये धन्यवाद देता हूं सोशल वेलफेयर रेक्टोरेट को कि उन्होंने एक लम्बा तार दिया डायमध्य प्रदेश को। लेकिन तब तक कितने बच्चों को मुश्किल उठानी पड़ी, कितनी मुसीबत उन को हुई होगी, यह बात सोचने की है। इसी तरह जो फार्म आया स्टेट से उसमें तो डीटेल में एक फार्म लगा हुआ है कि इतने प्रकार की फीस ली जाती है तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी और जो डिस्ट्रिक्ट से फार्म आया है जो यह मंजूर करते हैं उसमें यह चीज नहीं है। और इन फार्मों के अन्दर शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि जहां संस्था होनी चाहिए वहां संख्या छाप दिया है। मैं एक कालेज में यहां गया अपनी ग्रैंड डाटर का फार्म भराने के लिए। इसमें कितनी मुसीबत हुई मुझे मालूम है। उसको मैंने अभी रजिस्ट्री करके भेजा है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि इसमें तो संख्या लिखा है, मैंने कहा कि अगर आप इसको पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि यह संख्या नहीं, बल्कि संस्था है, यहां पर संस्था छपा होना

चाहिए था—इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है ।

मध्य प्रदेश में मैडिकल कालिज के लिए इस साल 27 स्कालरशिप्स रखे गये हैं, जिसके लिए 136 हरिजन और 14 आदिवासियों ने एप्लाई किया, लेकिन उनमें से एक भी सिलैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भी आदिवासी या हरिजन मैडिकल कालिज में भरती होने लायक नहीं है। जितनी क्वालीफिकेशन इस एडमीशन के लिये जरूरी है, वह उन लोगों ने हासिल की है, उन्होंने इन्टर साइंस सेकेण्ड डिवीजन में पास किया हुआ है, लेकिन एडमीशन के लिये जो फिर से एक्जामिनेशन होता है, उसमें वे लोग बैठे लेकिन पास नहीं हुए—इस तरह से कैसे चलेगा। जैनरल नालिज के टेस्ट में अगर कोई मेम्बर कहता है—स्विच-आन-दी-रेडियो, तो वह कैसे स्विच-आन करेगा। उसके तो बाप ने भी रेडियो नहीं देखा, वह किस तरह से रेडियो पर दिल्ली या बी० बी० सी० लगायेगा, लेकिन उसके मुकाबले में जिसके घर में बचपन से ही रेडियो है, वह तो फौरन लगा देगा और पास हो जायेगा। यदि उसकी परीक्षा ही लेनी है तो इस तरह से क्यों नहीं ली जाती कि जहां शेर चिल्लाता है, उस रास्ते से जाओ, जो जा सकता है उसको पास करेंगे या पेड़ पर चढ़ने के लिये कहिये या कूए की मिट्टी खोदने के लिये कहिये, हल चलाने के लिये कहिये—देखिए वह करता है या नहीं। उसके मां-बाप जो काम करते हैं, वह काम उससे कराइये, जो देश के लिये भी जरूरी है, देखिये वह कर सकता है या नहीं। अगर दूसरी तरह से उसकी परीक्षा लेना चाहेंगे तो वह कैसे पास होगा।

आप जिस तरह से ट्राइबल वैलफेअर के लिए स्कूल चला रहे हैं, उस तरह से ये स्कूल नहीं चल सकते, आपको चाहिए कि आप आश्रम स्कूल बनायें। वहीं स्कूल हो, वहीं कोआपरेटिव सोसायटी हो, वहीं आयुर्वेद के या दूसरे औषधालय हों, इस तरह से 10-20-25 आदमियों का एक ग्रुप-का-ग्रुप वहां रह सकता है, उन लोगों को सोसायटी भी मिल जायेगी और वे भाग कर नहीं जायेंगे और आज जो पैसा आप का वेस्ट हो रहा है, वह बच जायेगा, उसका सही उपयोग हो सकेगा। आज आप इन चीजों को अलग अलग रखते हैं, जिससे उसमें काम करने वालों को संगत-सोसायटी नहीं मिलती, जिससे वे लोग वहां से भागने लगते हैं।

हमारे यहां 25 मील या ज्यादा से ज्यादा 50 मील की दूरी पर हमारे आदिवासियों की मातृ-भाषा बदल जाती है। हम शहर से एक भाषा के मास्टर को, जो किसी का भाई या किसी का भतीजा होता है, सिफारिश के आधार पर उन आदिवासियों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन चूंकि वह उनकी भाषा नहीं जानता, इसलिए वह उनको पढ़ा नहीं पाता, वह कुछ पढ़ाता है और वे लोग कुछ समझते हैं। इसलिये जो स्थानिक लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं रखते ? आज सैकड़ों ऐसे आदिवासी हैं, जो थोड़ा-बहुत पढ़-लिख गये हैं, लेकिन बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको एप्वाइन्ट क्यों नहीं करते। वे उनकी भाषा को समझते भी हैं और वहां से भागेंगे भी नहीं, उन्हीं में रह कर पढ़ायेंगे और उनको सोसाइटी भी मिल जायेगी।

इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो आई० टी० आई० खोले हुए हैं, उनमें वे लोग कम जाते हैं। उन जगहों में रहने वाले बच्चों को इनमें जाने से क्या लाभ है ? आपकी इण्डस्ट्रीयल इन्स्टीच्यूट्स में ऐसी कौन सी चीज सिखाई जाती है, जो उनके लिए लाभकारी है। आप उनको मोटर मैकेनिक का काम सिखाते हैं या दूसरी बातें सिखाते हैं जो वास्तव में उनके काम नहीं आती है। लोहे का काम सीख कर उसको शहरों में ही काम मिल सकता है, लेकिन आदिवासियों को शहरों में कौन नौकर रखेगा।

[श्री मंगरू उइके]

इसलिए इन लोगों को हर्र, महुआ, सागवान जैसी चीजों के बारे में सिखायें, तो वह उनके काम आ सकता है और उसी के द्वारा उनका डेवेलपमेन्ट हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के ट्रेनिंग की व्यवस्था आप इन इन्स्टीचूट्स में करें।

रिपोर्ट में विस्थापितों के बारे में कहा गया है कि रांची का उदाहरण दिया गया है कि कितने विस्थापित आदिवासियों को पैसा मिला और कितनों को नहीं मिला। यह भी कहा गया है कि एक आदिवासी को 32 हजार रुपया मिला, जिसे उसने पोस्टआफिस में रखा और किसी ने अंगूठा मारकर उसका वह रुपया वहां से निकाल लिया। सभापति महोदय, ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं जहां इस तरह से उन लोगों का रुपया मर लिया गया है। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में आप जाइये। वहां मिलिट्री ने 36 गांवों से उनको उठाया और भरपूर पैसा दिया, लेकिन वह पैसा 80 फीसदी आदिवासियों को नहीं मिला, दूसरों ने मार लिया। एक-दो केसेज को छोड़ दें, बाकी सब केसेज में ऐसा ही हुआ। आपके यहां से किसी को वहां जाकर इन सब चीजों को देखना चाहिए।

जहां-जहां खदानें और कारखाने बनते हैं—मैं उनके भी एक-दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। नैशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ने 300 एकड़ जमीन 6-7 साल पहले अपने कब्जे में ली, यह जमीन विलासपुर जिले में है, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। सात साल से वह जमीन उसी तरह से पड़ी हुई है। वहां से उनको हटा दिया गया, न खेती के लिए कोई जमीन मिली और न कम्पेन्सेशन मिला। क्या यह आदिवासियों का कल्याण हो रहा है। सभापति महोदय, मैं अपना पूरा जीवन आदिवासियों में रहा हूँ, इतना एक्सप्लायटेशन कभी भी नहीं देखा था, जितना आज हो रहा है। पहले दूसरे लोग एक्सप्लाएट करते थे, आज गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ हो रहा है।

आज हम धर्म की बातें चिल्लाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि किस तरह से आज हम अपने साथियों को, अपने बीच में रहनेवाले लोगों को दूसरे धर्म में जाने के लिए लाचार कर देते हैं। मेरे अपने प्रदेश में रायपुर जिले के जसपुर क्षेत्र में आरांव जाति के 118 बच्चे कालिज में एक जगह बैठकर पढ़ रहे हैं, 9 बच्चे छात्रावास में हैं और 118 बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं—यह सब एक मिशनरी के प्रयत्नों की वजह से है। एक तहसील तो क्या एक जिले में भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां एक जाति के 118 बच्चे पढ़ते हों, जिनमें से 20 लड़के आफिसर बने और अलग-अलग सर्विस में गये। अगर आप यही चाहते हैं कि हम मिशनरीज की मदद लें, तो हम जरूर लेंगे, वे बच्चे क्यों दूसरों से पीछे रहें। इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, धर्म-धर्म कह कर आप हमको लूटते जायं और हम लुटते जायं, इससे ज्यादा अच्छा यह है कि आप सारा पैसा मिशनरीज को दे दें और वे उनको एजूकेट करें।

इसमें लैण्ड एलीनेशन एक्ट का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन का इस एक्ट के जरिये बचाव किया गया है। क्या बचाव किया गया है। सभापति महोदय, लैंड एलीनेशन एक्ट कैसे बना, इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश जमीन से ताल्लुक रखती है। 1916 में यह एक्ट बना। क्यों बना ? जितनी आदिवासियों की जमीनें थीं, उसकी तीन-चौथाई जमीन दूसरों के हाथों में चली गई, तब ब्रिटिश सरकार ने 1916 में इस एक्ट को बनाया—जब तक कलैक्टर का दस्तखत न हो, तब तक वह जमीन नान-ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। बाद में फिर गड़बड़ होने लगी, बहुत से कलैक्टरों ने परमीशन देना शुरू कर दिया। उसके बाद १६३६ में एक स्पेशल

आफ़िसर, मि० ग्रेगसन को एप्वाइन्ट किया गया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, उस वक्त यह बहुत बड़ा प्रदेश नहीं था, कुल 22 जिले होते थे। २६ हजार आदिवासी काश्तकार कम हो गये, उनकी जमीनें चली गईं और आज ऐसा कोई गाँव आपको नहीं मिलेगा जहाँ आधे आदिवासियों की जमीनें दूसरों के पास नहीं हैं या जो बची हुई हैं, वह दूसरों के पास दबी हुई नहीं हैं। ट्राइबल एरिया में जगह-जगह पर विकास खण्ड बने हुए हैं। उसकी जांच के लिए हम लोग जाते हैं तो वे कहते हैं कि 90 पर· परसेन्ट आदिवासी तो कर्जदार हैं इसलिए उनको हम ब्लाक से सहायता दे नहीं सकते हैं, दस परसेन्ट को दे सकते हैं लेकिन कहीं कुवां खोदने के लिए पानी नहीं है तो कहीं पर कुछ नहीं है इसलिए काम जितना तेजी से होना चाहिए वह हो नहीं सकता है। डिपार्टमेन्ट ने कहीं यह नहीं देखा कि तीन हजार या दो हजार रुपये कुवें के लिए दें, आदिवासी कुवां बनाये और फिर उसको एक रहट दें लेकिन इसमें कुछ रुपया उसको वापिस करना है और कुछ रुपया उसको माफ होना है तो उस चीज की पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है। केन्द्रीय सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए जो सौ फीसदी अनुदान पर कार्य किये जाते हैं उसकी कोई पब्लिसिटी स्टेट में नहीं है। कोई आदिवासी इस बात को नहीं जानता है। जो आफिसर हैं वह उनसे कहते हैं कि तुम्हारे को हम कुयें के लिए तीन हजार दे रहे हैं और उसमें से इतना छुड़वाते हैं तो इसमें तुम मेरे को क्या दोगे? अब जिसको कुवां दिया, रहट दिया वह कहता है कि मेरे पास बैल नहीं है, मैं किससे चलाऊं? अफसरों ने अपना कोटा पूरा करने के लिए कर्ज दे दिया। आज तो 90 परसेन्ट आदिवासी कर्जदार हैं वह कैसे हैं? वह ऐसे हैं जैसे आजकल हरी क्रान्ति की बात चल रही है तो एग्रीकल्चर वालों ने जा करके आदिवासियों के घरों में चार-चार, 6-6, बोरी फर्टिलाइजर की डाल दीं फालतू जिसको कि वे चाहते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कमेटी एप्वाइन्ट होनी चाहिए जोकि आदिवासी इलाके में घर-घर जाकर के देखे कि फर्टिलाइजर के कारण किस प्रकार से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उन पर वारन्ट निकल रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनसे डेवलपमेन्ट का पैसा मिल नहीं सकता है। क्या हम यही विकास कर रहे हैं? नहीं, हम विनाश कर रहे हैं।

मैंने जो पार्टी में कहा था वह भी एक मुद्दे की बात है। 6 हजार स्क्वायर माइल जमीन जोकि आदिवासियों की कृषि में है वह दो महकमों के झगड़े में है—वन विभाग और रेवेन्यू विभाग। रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है, तीन पीढ़ी से इनके बाप से हम रेवेन्यू चार्जेज ले रहे हैं और फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि यह जमीन जंगल में है, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब नहीं छोड़ा तो उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर कुछ गांवों को जला दिया और फसल जला दी। मैं कहता हूँ थोड़े दिनों के लिए आप विकास बन्द कर दो। आखिर क्या कारण है कि वे शिफ्टिंग कल्टिवेशन पर चले गए? किसी वैज्ञानिक या ऐंथ्रापोलोजिस्ट ने इस बात को नहीं देखा। इसका कारण यह है कि उन्होंने किसी जमीन को अच्छी बनाकर तैयार किया तो कोई होशियार आदमी जाकर उस पर कब्जा कर लेता है और फिर वे भाग जाते हैं। करीब करीब यह बात उनके दिमाग में बैठ गई कि मैं सफाई करके किसी जमीन को तैयार करूँ तो कोई दूसरा उसको हड़प लेगा। इसी वजह से वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर चले गए। वे अपने आप नहीं गए हैं बल्कि हमने और आपने उनको भेजा है। उनके पास में इतने अच्छे साधन हैं कि यहां से आप उनके लिए पैसा भी न भेजिए, सिर्फ उनका मार्गदर्शन कर दीजिए तो उनकी दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ सकती है। ऐसी चीजें उनके पास में मौजूद हैं। यहां पर मुर्गी और सुअरों का विरोध भी हुआ लेकिन

[श्री मंगरू उइके]
मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि उनके लिए बहुत ही जरूरी है। साढ़े 15 हजार स्क्वायर माइल्स का बस्तर का इलाका है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है। उस इलाके के साउथ बस्तर में असील जाति का एक मुर्गा होता है जो कि महाराष्ट्र में 40 रु०, 80 रु० वल्कि लड़ाई के लिए सौ रुपए तक बिक जाता है। वह मुर्गे बस्तर के घर घर में है लेकिन वेटेरिनरी डिपार्टमेंट ने कभी इस बात को नहीं सोचा कि उनके लिए मार्केटिंग का इन्तजाम करें। इसी प्रकार से हर एक आदिवासी के घर में सुवर हैं। मैंने उनसे पूछा कि सुवर हैं। मैंने उनसे पूछा कि सुवर के बाल कैसे बेचते हो तो उन्होंने कहा कि साहब, कोई कोई लोग आते हैं जो दो रुपए ढाई रुपए किलो में खरीद ले जाते हैं। हमारे यहां पार्लमेंट के एक मेम्बर राज्य सभा में अब भी हैं जो कि इसका धन्धा करते हैं, चालीस से साठ रुपए पर किलो तक सुअर के बाल खरीदते हैं। लेकिन आज बस्तर में वही सुअर के बाल दो रु० ढाई रु० किलो के हिसाब से बिक रहे हैं तो क्या ट्राइवल वेलफेयर वालों को यह बात नजर नहीं आई ? आखिर वे कौन सा ट्राइवल वेलफेयर कर रहे हैं ? अगर हम उनके लिए मार्केटिंग का इन्तजाम कर दें तो फिर यहाँ से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है।

अब जहां तक भूमि वितरण का सवाल है, मैं समझता हूँ स्टेट्स में उसके लिए अगर आटोनोमस बाडीज बना दी जायें तो अच्छा होगा वरना आज उसके विपरीत परिणाम हो रहे हैं। इस समय हमें एक और डर हो रहा है कि हमारे आदिवासियों के पास जो बची खुची जमीन रह गई है उस पर भी दूसरों का कब्जा हो जायेगा। वह जमीन बोयेगा और कोई दूसरा उसको काटेगा। वह डर के मारे भाग जायेंगे। यह आदिवासियों के हक में मूवमेंट नहीं है जो कि चल रहा है। मैं जानता हूँ जिलों में कुछ संस्थाओं ने जमीन दिलाने के नाम पर उनसे हजारों रुपया वसूल कर लिया है। लेकिन इसमें उनकी और जमीनें निकल जायेंगी। इसी प्रकार से जो बेनामी यानी बिना लिखा-पढ़ी की जमीन है आदिवासियों की वह भी दूसरों के कब्जे में है। उसके लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्तजाम होना चाहिए अगर यह सरकार उनका कुछ भी वेलफेयर करना चाहती है। आदिवासियों की इस प्रकार से लाखों एकड़ जमीन को दूसरों ने दबा रखा है।

एक विषय की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूँ। राज्यपालों के ऊपर पंचम और षष्टम अनुसूची के अनुसार कुछ जवाबदेही है---शेड्यूल्ड एरिया के लिए लेजिस्लेशन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए—लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वे रिपोर्ट नहीं भेजते। अब मैं राज्यपाल के सम्बन्ध में कुछ कहूँ तो पता नहीं—शायद वह अनपार्लमेंटरी हो जायेगा लेकिन क्या वे रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। आदिवासी किस चिड़िया का नाम है, शायद गवर्नर यह भी नहीं जानते होंगे।··· (व्यवधान)·· मैंने यहां पर कुछ सुझाव दिये है लेकिन मैं अपने प्रदेश के पूरे जिलों के लिए सुझाव दे सकता हूँ। वहाँ पर हर एक जिले में, हरएक विभाग में अलग अलग प्राब्लम्स हैं। अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं लेकिन कौन सी जमीन में कौन सी चीज करने से उत्थान हो सकता है, यह मैं बता सकता हूँ। अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो मैं अपने सुझाव दे दूँगा।

इसके अलावा आदिवासियों के लिए एक काम करना बहुत ही जरूरी है। उनके यहाँ शादी, मरण और जन्म—ये तीन काम प्रमुख होते हैं इन्हीं कामों के लिए वे साहूकार के पास कर्जे के लिए जाते हैं। अगर सरकार उनको इन कामों के लिए डेढ़ सौ रुपया दे दे तो उन को काफी हद तक कर्जे से बचाया जा सकता है। उस पैसे को वे निश्चित रूप में एक दो

साल में अदा कर देंगे। आदिवासी कभी बेईमानी नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त एक बिल मिनिस्ट्री के सामने पड़ा हुआ है, उसको अगर लाना नहीं है तो कम से कम इतना ही कर दिया जाए कि प्रेसीडेन्ट के आर्डर से एरिया रेस्ट्रिक्शन्स को रिमूव कर दिया जाये। इस प्रकार 71 की सेन्सस में वे आ जायेंगे और 72 में अपना राजनीतिक हक ले लेंगे।

केन्द्र ने एक करोड़ रुपया ट्रक्स और जीप्स के लिए दिया है। ये जीप्स ट्राइबल ब्लाक्स के लिए दी गई हैं। वे किस काम में लाई जा रही हैं, इसको देखा नहीं जाता है। जो पैसा दिया गया था वह उस काम के लिए खर्च नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने सारा पूल करके दूसरे कामों में लगा दिया है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंज जगह २ आपने बना दी हैं। उनके लिए स्टाफ रखा दिया है। सारा जो स्टाफ है उसको एग्जैक्टिव कामों में स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगा दिया है। कल्चरल डिवेलेपमेंट का, रिसर्च का कोई काम नहीं किया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंज खत्म हो गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपने एग्जैक्टिव कामों में लगा दिया है।

काफी पैसा आपने ट्राइबल डिवेलेपमेंट कारपोरेशन के लिए दिया है। वह सारा पैसा खत्म हो गया है। गरीबों का भी जो पैसा उसमें लगा था वह खत्म हो गया है। 1 करोड़ 15 लाख का कोई हिसाब नहीं है। गरीब आदिवासियों का 41 लाख रुपया जो नमक और मिर्च खरीदने के लिए काम आता वह इसमें लगा और खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है? किसी आदिवासी प्रेसीडेन्ट को गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाई जा रही है, किसी सरपंच को सजा दिलाई जा रही है। गोविन्द मैनन साहब ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वह परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां जाएंगे। स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इन चीजों को देखें। एक्सप्लायटेशन जहां कहीं भी हो रहा है, उसको दूर करें। एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। डिवलेपमेंट के काम हाथ में ले।

लीगल असिस्टेंस जो आप उनको देते हैं, वह बहुत कम है। कलैक्टर के जरिये वह दी जाती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। पुलिस के मुकदमे चलाने के लिए आपने पब्लिक प्रासीक्यूटर रखे हुए हैं। मेरा सुझाव है कि आदिवासियों और हरिजनों के मुकदमे लड़ने के लिए जैसा डिस्ट्रिक्ट हो उसको देखकर आप अलग से पब्लिक प्रासीक्यूटर रखें। जब लोगों को पता चलेगा कि उनकी तरफ से लड़ने वाला, उनको डिफेंड करने वाला कोई है तो इस भय से भी उनकी बहुत सी लूट बन्द हो जाएगी। यह राम बाण दवाई है जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

SHRI C. K. CHAKRAPANI (Ponnani) : Sir we have before us four reports which are voluminous. If we go through them carefully, we find that they have recommended certain things and at the same time those recommendations are being repeated every year. My friend Mr. Basumatari narrated certain things. I may not fully agree with what all he said. He said that the condition of the tribals is very poor. He referred to the situation prevailing in Kerala and the home town of our minister. He has narrated many things about the neglect of Harijans, but he has failed to mention who is responsible for it. It is the 23 years of Congress rule that has brought about this situation. They have not yet implemented the recommendations made by different committees. That is the crux of the problem. What is the use of the recommendations being repeated? The sacred duty of committees like Basumatari Committee is to recommend certain things and it is the sacred duty of the Government not to implement those recommendations! If the Government are serious on the question of implementation, they would have

[Shri C. K. Chakrapani]

come forward with some schemes. I charge the government with failing to discharge their responsibility in this regard.

What is the fundamental problem facing this community ? Economic backwardness is the main problem confronting the Harijans. According to this report, this is due to injustice, exploitation and oppression that they suffered at the hands of the other castes for centuries in the past. Its origin has to be traced to the caste system in India. The people belonging to the Scheduled Caste work for the uplift and well being of the higher classes of society. For years they have worked for the betterment and advancement of the higher classes. Actually, it is the people belonging to the Scheduled Castes that create resources for the nation. Yet, they are being neglected. So, I would say that it is the caste system which is responsible for their present plight and so the caste system in India should go. This system should be banished from our country. This barrier should have no place in our society. Yet, what have the Government done towards this end. I am sorry to say that they have done nothing. If they are serious about improving the conditions of the Harijans, they will have to break the caste system now prevailing in India.

Another problem facing them is the non-availability of land. Nearly half the population of Scheduled Castes is landless agricultural labour. They want land for construction of a house and for cultivation. As agricultural labour they do not get employment throughout the year. They are under-employed. That is the second major problem.

Moreover, they get very low wages. As my hon. friend has pointed out, even though there is the Minimum Wages Act, it has not been implemented fully. During our freedom struggle one of the slogans was "Land for the tiller". Even 23 years after freedom this slogan of land for the tiller has not been implemented. Government have not come forward with any concrete schemes for land reform. The Scheduled Caste people want land for cultivation. If you do not give them land they have to take it from others.

AN HON. MEMBER : By force.

SHRI C. K. CHAKRAPANI : Yes, by force, I admit. The other day the Congress President has declared : wherever there is surplus land, go and occupy it but he has not given any lead to us. In India there are some political parties which have come forward to implement the policy of land for the tiller. The land grab movement is going on and I welcome this movement. We will do everything to take the land from others.

Without a proper land legislation all talk of socialism is a hoax. Shri Basumatari has just now told us what is socialism. Socialism is a fraud, so far as the Congress people are concerned.

SHRI D. BASUMATARI : I said that this is the word used by every political party.

SHRI E. K. NAYANAR : It is a hoax by the government.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : And still they are clinging to it.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : To avoid a bigger hoax.

SHRI C. K. CHAKRAPANI : Another point is that land belonging to Adibasis and tribal people are being taken away by some small traders and some vested interests. The hon. Member who spoke just before me has narrated that.

As far as Kerala is concerned, the eastern part of Kerala—Kottayam, Ernakulam area—is a hilly area and there are a lot of Adivasis there. They grow cardamom. Cardamom is a finished product and a costly product. After three or four years these people are driven out by other people by force.

SHRI P. P. ESTHOSE (Muvattupuzha) : Most of the Congress people, who are traders, are doing this.

SHRI C. K. CHAKRAPANI : When Adivasis are driven out from land not only in Kerala but in other parts like Srikakulam and Assam, other Adivasis resist that. When they resist, the law and order questi-

on comes up. So far the Tribal people were exploited. Now when the vested interests, the rich people and the small traders, take their land and they resist because there is no other way than resistance, we need not cry about the law and order problem because it is their right, it is their burning problem. When they are driven out of their land they have every right to resist, and that they are doing. When they are doing that, we should not raise this law and order question.

So far no proper legislation has been made to check this encroachment business. My hon. friend, who spoke just before me, talked about some legislation. That legislation is altogether ineffective. When the legislation is ineffective, what is the use of that legislation ? You say that the land of the Adivaasis is being protected. Their land is not being protected; their land is being taken away.

My next point is about indebtedness among the Scheduled Castes and the grim story of their degradation. Once in debt, they are never free from it. Many Scheduled Castes people are born in debt. The money lenders squeeze them like anything; they suck their blood. 20 per cent of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is being exploited like this. These moneyed people will lend some money and that will get accumulated. Such being the condition, the Scheduled Castes and Adivasis never get freed from debt. This state of affairs should go.

The Government can very well say that the number of scholarships has been increased. You can claim that reservation in Government service has been enhanced. You say that a number of students were given education concession. You can boast that so much money has been spent for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But that is not the problem. The problem is about land. During our national freedom struggle we had been saying that land should go to the tiller, to the Harijans.

Dr. Ram Subhag Singh has said that Mahatma Gandhiji had done something good for the cause of the Harijans. I would admit that. But Gandhiji said that when India becomes free, one Harijan should be made the Head of the State. That slogan has never been fulfilled. He said about Governors and Ambassadors. Gandhiji said something and his disciples are doing some other thing. This state of affairs should go.

The crux of the problem, as I said, is land. Land has not been given to them. Untouchability and other matters related to that are there. In many areas, untouchability is prevailing, specially in Andhra, Assam and Bihar. Though we have made untouchability a crime, it is still there. To check that, no create and effective steps have been taken by this Government.

I conclude by saying that if we are really serious about the upliftment of the Harijans and the Scheduled Castes and Tribes, we must come forward with a slogan that land should be given to the Harijans. Then only their economic backwardnees can be removed So long as we have not done that, nothing can be achieved. You can give some employment to the Harijans: you can make some Harijans officers and you can spend crores of rupees for them But the question of land is a major problem. The land should be given to the Harijans first and then only you can help them. And then alone, as has been said by my hon. friend, Shri Basumatari, socialism can be implemented.

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा) : सभापति महोदय, अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट और पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट को गौर से पढ़ा जाये, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था, उनकी जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हो पाई है और तेईस सालों के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। रिपोर्ट में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हरिजनों के साथ छूआछूत का व्यवहार किया जाता है। रिपोर्ट से हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुंचने को मजबूर होना पड़ता है कि शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक क्षेत्र में हरिजनों और

[श्री नवल किशोर शर्मा]

आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा जो योजनायें बनाई जाती हैं, वे अमल में नहीं लाई जातीं हैं। यह स्थिति बड़ी दुखद और चिन्तनीय है, क्योंकि अगर इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेईस साल के बाद आज भी उसी स्थिति में रहे, जो आजादी से पूर्व थी, तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं है।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि जहां हरिजनों और आदिवासियों की दशा को सुधारने के बारे में केन्द्रीय सरकार का अपना दायित्व है, उससे ज्यादा दायित्व राज्य सरकारों का है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र की ड्यूटी एक पोस्ट आफिस की सी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए सब रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। यदि केन्द्रीय सरकार इस रुपये के खर्च और वितरण के बारे में थोड़ा सख्ती से काम ले और इस बात का ध्यान रखे कि वह रुपया हरिजनों और आदिवासियों के उद्धार और विकास के लिए सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, तो राज्य सरकारों को मजबूर होकर इस बारे में सचेत और सावधान होना पड़ेगा।

मैं यह भी समझता हूँ कि इस देश में हरिजनों और आदिवासियों को केवल राजनैतिक अधिकार देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। असल में इस समस्या के दो भाग हैं: एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक। सामाजिक स्तर पर जिस तरह का भेद-भाव इन लोगों के साथ आज भी चल रहा है, वह एक दुर्भाग्य की बात है। यह सही है कि इसके मूल में सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। जाति प्रथा ने ही हमारे देश में इस प्रकार के कई वर्ग बना दिये, जिसका परिणाम यह है कि आज कुछ लोग अछूत के नाम से पुकारे जाते हैं। आज के जमाने में यह सब बातें पुराने जमाने की हो गई हैं। लेकिन चूंकि अभी गाँवों में शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ है, अभी तक इस देश में ऐसी जमातें, ऐसी संस्थायें, ऐसे धर्मगुरु और ऐसे लोग मौजूद हैं जो बराबर इस तरह की खाई को पाटने के बजाय और चौड़ी करना चाहते हैं। उसका परिणाम है कि जो सामाजिक परिवर्तन आज होने चाहिए थे वह अभी नहीं हो पाये हैं। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि कानून के जरिए से और कानून के जरिये से ही नहीं बल्कि इस तरह के प्रचार के जरिये से इस तरह की व्यवस्था की जाय कि देश के अन्दर जो यह सामाजिक व्यवस्था है जाति-पांत की यह तुरन्त समाप्त हो और देश के अन्दर इंसान और इंसान के अन्दर कोई फर्क नहीं रहे, कोई छूत नहीं रहे कोई अछूत नहीं रहे, कोई छोटा नहीं रहे, कोई बड़ा नहीं रहे, कोई ऐसा आदमी नहीं रहे कि जिसके बारे में लोगों का मन्दिर या मस्जिद में जाने से एतराज होता हो, कुओं से पानी लेने के बारे में, नल से पानी लेने के बारे में, इन सब बातों में कोई एतराज नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था होना निहायत आवश्यक है। अगर हम यह सब नहीं कर पाए तो इस देश के अन्दर जहाँ एक ओर अव्यवस्था होने वाली है वहाँ मैं हिन्दू धर्म के उन पुजारियों को भी कहना चाहता हूँ कि असल में आप हिन्दू धर्म का इससे ज्यादा कोई अहित नहीं कर सकते। अगर आप वास्तव में हिन्दू हैं और हिन्दुत्व में आपका विश्वास है तो आपको कहना चाहिए कि हिन्दू धर्म कहीं भी इस तरह के भेदभाव की बात नहीं करता। यह रूढ़िवाद की बात है और रूढ़िवाद उन लोगों ने जिनके निहित स्वार्थ थे उन्होंने कायम किये हैं। इसलिए इस व्यवस्था को आप लोगों को खत्म करना चाहिए।

दूसरा जो प्रमुख विषय है हरिजनों के सिलसिले में, आदिवासियों के सिलसिले में और अनुसूचित जन-जातियों के सिलसिले में वह है उनकी आर्थिक अवस्था। उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार के बिना इस देश के अन्दर कभी भी यह सम्भव नहीं कि हम इस बीमारी का इलाज कर सकें। आज देश के अन्दर अगर कहीं गरीबी मिलेगी तो हरिजन लोगों में मिलेगी, आदिवासी

लोगों में मिलेगी और इसके मूल में जो कारण हैं वह मैं जैसा कह रहा था कि आर्थिक व्यवस्था है। न उन लोगों के पास जमीन है, न उनके पास रहने के लिए मकानात हैं, न उनको कोई नौकरी की सुविधायें हैं, न रोज़गार की सुविधायें हैं। मैंने देखा है और अपने अनुभव के आधार पर भीमैं कह सकता हूँ कि यह रिजर्वेशन की बात जो की जाती है नौकरियों में यह बिल्कुल कागजों पर है। इससे हरिजनों को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। मेरी मान्यता है और मेरी माँग है कि हर राज्य सरकार को जितनी उस राज्य में हरिजन और आदिवासी, अनुसूचित जन-जाति की आबादी है उसी अनुपात में उनको नौकरियों में रिजर्वेशन देना चाहिए। इससे कम रिजर्वेशन देने का मतलब यह होगा कि हम हरिजनों और आदिवासियों को उस स्तर पर जिस स्तर पर कि ले जाना चाहते हैं, उस स्तर पर नहीं ले जा सकेंगे और जो भेद को कम करना चाहते हैं उसको कम करने में बहुत समय लगेगा।

श्री रामचरण : पहले उनको गवर्नरों और एम्बैसेडरों में तो रिजर्वेशन दिलवाइये।

श्री नवल किशोर शर्मा : एम्बैसेडरों के रिजर्वेशन से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को भले ही कुछ जगह मिल जायगी लेकिन गरीब लोगों का इससे उद्धार होने वाला है, यह मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि असल में जो रिजर्वेशन है वह आबादी के अनुपात में होना चाहिए। इसी तरह से मैं यह भी माँग करता हूँ कि सारे देश के अन्दर जितनी फालतू जमीन है जो लैंडलेस को एलाट की जाने वाली है वह सारी की सारी पहलें हरिजनों और आदिवासियों को दी जानी चाहिए। अगर हमारे देश में हरिजनों और आदिवासियों की हालत को सुधारना है तो हम को यह करना भी आवश्यक है और यह जरूरी कानून के तौर पर करना होगा। साथ ही साथ खाली जमीन देने से ही काम चलने वाला नहीं है। उन भाइयों का काम केवल इतने से ही चलने वाला नहीं है। इसलिए उनको उस जमीन के विकास के लिए जो ऋण दिया जाता है उस ऋण के लिए सेक्योरिटी की समस्या आती है और उस सेक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य सरकारें उस बैंक के ऋण की गारन्टी दें और यदि इस तरह की गारन्टी राज्य सरकारें देने लगेंगी तो हरिजनों और आदि-वासियों को जो जमीन मिलने वाली है उस जमीन पर खेती के लिए विकास हो सकेगा। वरना तो उनको मिली हुई जमीन बेकार हो जायेगी।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे देश में हरिजनों के विभिन्न वर्गों के अन्दर भी जो छूआछूत है वह भी खत्म होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है...

श्री रामचरण: यह भी आप लोगों की पैदा की हुई है।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मैं इसको मानता हूँ स्वीकार करता हूँ कि यह हम लोगों की पैदा की हुई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इस व्यवस्था के खिलाफ भी एक आवाज बुलन्द कीजियेगा। यह मत समझियेगा कि पोलिटिकल इन्टेरेस्ट के नाते आप इस तरह का एक वेस्टेड इन्टेरेस्ट क्रियेट कर रहे हैं। चन्द जातियों के लोग दूसरी चन्द जातियों के लोगों के प्रति घृणा करें, नफरत करें, उनमें भेदभाव करें और उनके साथ भी समानता का व्यवहार न करें, यह स्थिति भी चलनी नहीं चाहिए और आप जैसे समझदार आदमी यह कह कर दूर नहीं हो सकते कि हमने यह व्यवस्था की है इस-लिए इस व्यवस्था को चलने देना चाहिए। यह कोई दलील नहीं है।

हमारे देश के अन्दर जो हालात हैं, उन हालात के लिहाज से इस बात की बहुत जरूरत है

[श्री नवल किशोर शर्मा]

कि इस समस्या को बहुत ही प्राथमिकता दी जाय। अभी मेरे मित्र उइके और दूसरे मित्र कह रहे थे कि हरिजनों और आदिवासियों के क्षेत्रों में जो काम करने के लिए लोग जाते हैं वह दूसरे प्रान्तों के होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका उन लोगों से सम्बन्ध नहीं होता। स्कूल की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं यह डिपार्टमेंट या राज्य सरकार यह क्यों नहीं करती है कि जिन क्षेत्रों के अन्दर चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हरिजनों में काम करने वाले हों या आदिवासियों के क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों का सवाल हो या चाहे उनमें काम करने वाले दूसरे अधिकारियों का सवाल हो, क्या हम यह नहीं कर सकते हैं कि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उसी क्षेत्र के हों और उसी तरह के लोग हों? अगर अनुसूचित जाति में काम करना है तो अनुसूचित जाति के लोगों को उस काम पर लगाया जाना चाहिए। अगर अनुसूचित जन-जाति के लोगों में काम करना है तो अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उसमें लगाया जाना चाहिए। इसका एक और अच्छा परिणाम होने वाला है। उन लोगों को स्वाभाविक तौर से उनके प्रति सहानुभूति होती है और उसके परिणामस्वरूप वह ज्यादा कारगर तरीके से काम करेंगे।

इस सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन कर रहा था कि हरिजनों और ऐसे दूसरे लोगों के लिए उनके मुकद्दमों की देखभाल करने के लिए वकील नियुक्त किये जाने चाहिए। राजस्थान में तो यह सब है। लेकिन वही बात इसमें भी है। भले ही आप वकील नियुक्त करें लेकिन वही दलील यहाँ भी आती है कि अगर उसी जाति के लोगों को नियुक्त करेंगे तब तो उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।

17.29 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. CHAIRMAN : I have to inform the House that the Speaker has received the following telegram, dated the 9th August, 1970, from the Sub-Divisional Magistrate, Supaul:—

> "I have the honour to inform that Shri Gunanand Thakur, Member, Lok Sabha, has been arrested at 7 A. M. on the 9th August, 1970 at Kariho under Sections 107/114, Criminal Procedure Code in execution of warrant of arrest duly issued by Sub-Divisional Magistrate in order to prevent breach of peace in connection with forcible occupation of land in village Kariho. He is at present lodged in Supaul Jail."

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up the half-an-hour discussion.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Before you call the hon. Member Shri E. K. Nayanar to raise the half-an-hour discussion, I think somebody must be called on the earlier subject relating to the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that he can continue tomorrow.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : It is not necessary.

MR. CHAIRMAN : Is it necessary? Shri S. M. Banerjee will speak. His name is on the list.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir...

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ALLEGED INVOLVEMENT OF KERALA MUSLIM LEAGUE IN SMUGGLING RACKET

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the half-an-hour discussion on points arising out of the answer given on the 27th July, 1970 to Unstarred Question